



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

पदमपुर मास्टर प्लान

(2010—2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

याशी कन्सलटिंग सर्विसेज प्रा० लि०, जयपुर

नगर नियोजन विभाग
राजस्थान, सरकार

आभार

पदमपुर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में पदमपुर के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक नगरी के सुनियोजित विकास कार्यों में प्रदान किया है।

जिला कलक्टर, श्री गंगानगर एवं नगर पालिका, पदमपुर का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय-समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया। याशी कन्सलटेंट्स जयपुर द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान तैयार करने में महत्ती भूमिका रही है, जिनका भी मैं आभारी हूँ।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र है।



(सुग्रीब सिंह)

वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन, बीकानेर

योजना दल

1. श्री जयबीर जाखड़ वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, जोन, बीकानेर (नवम्बर 2011 तक)
2. श्री सुग्रीब सिंह वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, जोन, बीकानेर (नवम्बर 2011 से)
3. श्रीमती प्रीति गुप्ता उप नगर नियोजक
4. श्री पुनीत शर्मा सहायक नगर नियोजक
5. श्री गुरुदत्त शर्मा सहायक अभियन्ता, बीकानेर
6. श्री दलीप पूनिया कनिष्ठ अभियन्ता, बीकानेर
7. श्री रणवीर सिंह कनिष्ठ अभियन्ता, बीकानेर
8. श्री मूलेन्द्रसिंह चौहान वरिष्ठ प्रारूपकार
9. श्री मो० सरवर उस्ता अनुरेखक
10. श्री अर्जुन नाथ सिद्ध स्टेनोग्राफर

सलाहकार फर्म: मै० याशी कन्सलटिंग सर्विसेज प्रा० लि०

1. श्री संजय गुप्ता प्रबन्ध निदेशक
2. श्री जयदीप खरब नगर नियोजक
3. सुश्री देबुलीना देवनाथ नगर नियोजक
4. श्री मनोज जैन वरिष्ठ सिविल इन्जिनियर
5. श्री महेश चौधरी वरिष्ठ प्रारूपकार
6. श्री दीपक झा सहायक प्रारूपकार
7. श्री लुकमान सहायक प्रारूपकार
8. श्री कुणाल अग्रवाल वरिष्ठ लिपिक

विषय-सूची

अध्याय	क्रम संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
		आभार	ii
		योजना दल	iii
		विषय सूची	iv-vii
		तालिका-सूची	viii-ix
1		परिचय	1-2
2		विद्यमान विशेषताएं	3-22
	2.1	भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	3
	2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
	2.3	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	5
	2.4	जनसांख्यिकी	5
	2.5	व्यवसायिक संरचना	6
	2.6	विद्यमान भू-उपयोग	7
	2.6.1	आवासीय	9
	2.6.1(अ)	आवासन	10
	2.6.1(ब)	कच्ची बस्तियाँ	10
	2.6.1(स)	शहरी नवीनीकरण	10
	2.6.2	वाणिज्यिक	11
	2.6.3	औद्योगिक	11
	2.6.4	राजकीय	13
	2.6.4(अ)	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	13
	2.6.5	आमोद-प्रमोद	13
	2.6.5(अ)	मेले एवं पर्यटन सुविधाएं	14
	2.6.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	14

	2.6.6(अ)	शैक्षणिक	14
	2.6.6(ब)	चिकित्सा	15
	2.6.6(स)	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	16
	2.6.6(द)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	16
	2.6.6(य)	जनोपयोगी सुविधाएं	17
	2.6.6(य)(i)	जलापूर्ति	18
	2.6.6(य)(ii)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	18
	2.6.6(य)(iii)	विद्युत आपूर्ति	18
	2.6.6(य)(iv)	श्मशान एवं कब्रस्तान	19
	2.6.7	परिसंचरण	19
	2.6.7(अ)	यातायात व्यवस्था	19
	2.6.7(ब)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	20
	2.6.7(स)	रेल एवं हवाई सेवा	22
3		नियोजन की संकल्पना	23-25
	3.1	नियोजन की नीतियाँ	23
	3.2	नियोजन के सिद्धान्त	24
4		भावी योजना का आकार	26-33
	4.1	जनसांख्यिकी	27
	4.2	व्यावसायिक संरचना	28
	4.3	नगरीय क्षेत्र	30
	4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	30
	4.5	योजना क्षेत्र	30
	4.5(अ)	उत्तरी योजना परिक्षेत्र	31
	4.5(ब)	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	32

	4.5(स)	दक्षिणी योजना परिक्षेत्र	33
	4.5(द)	परिधि नियंत्रण पट्टी परिक्षेत्र	33
5		भू-उपयोग योजना	34-55
	5.1	आवासीय	35
	5.1.1	आवासन	36
	5.1.2	अनौपचारिक सेक्टर हेतु योजना	37
	5.1.3	कच्ची बस्तियाँ	37
	5.2	वाणिज्यिक	37
	5.2(1)	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	38
	5.2(2)	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	39
	5.2(3)	भण्डारण एवं गोदाम	39
	5.2(4)	वाणिज्यिक केन्द्र	39
	5.3	औद्योगिक	40
	5.4	राजकीय	41
	5.4(1)	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	41
	5.5	आमोद-प्रमोद	42
	5.5(1)	उद्यान एवं खुले स्थल	42
	5.5(2)	स्टेडियम	42
	5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग	43
	5.6(1)	शैक्षणिक	44
	5.6(2)	चिकित्सा	45
	5.6(3)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	46
	5.6(4)	जनोपयोगी सुविधाएं	47
	5.6(4)(अ)	जलापूर्ति	48
	5.6(4)(ब)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन	49

	5.6(4)(स)	विद्युत आपूर्ति	50
	5.6(4)(द)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	50
	5.7	परिसंचरण	50
	5.7(1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	51
	5.7(1)(अ)	सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार	53
	5.7(1)(ब)	चौराहों का सुधार	53
	5.7(1)(स)	पार्किंग व्यवस्था	53
	5.7.2	बस अड्डा तथा यातायात नगर	53
	5.7.3	रेल एवं हवाई सेवा	54
	5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी	54
	5.8(1)	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	55
6		योजना का क्रियान्वयन	56–59
	6.1	वर्तमान आधार	56
	6.2	प्रस्तावित आधार	57
	6.3	जन सहयोग एवं जन सहभागिता	58
	6.4	भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	58
	6.5	उपसंहार	59

परिशिष्ट:—

1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम – 1959 (मास्टर प्लान) 60
2. राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम – 1962 के उद्धरण 62
3. राजकीय अधिसूचना दिनांक 16.07.2010 65
4. राजकीय अधिसूचना दिनांक 08.05.2012 66

तालिका –सूची

क्रम संख्या	तालिका का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, पदमपुर (1971–2010)	6
2	व्यावसायिक संरचना, पदमपुर, 1991–2001 एवं 2010	7
3	विद्यमान भू-उपयोग, पदमपुर, 2010	9
4	कच्ची बस्ती, पदमपुर, 2010	10
5	औद्योगिक इकाईयां, पदमपुर–2010	12
6	सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, पदमपुर, 2010	13
7	शिक्षा सुविधाएं, पदमपुर, 2010	15
8	चिकित्सा सुविधाएं, पदमपुर, 2010	16
9	जलापूर्ति, पदमपुर, 2010	17
10	विद्युत आपूर्ति, पदमपुर, 2010	19
11	बसों/माल परिवहन का विवरण, पदमपुर	21
12	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, पदमपुर (1981–2031)	28
13	व्यावसायिक संरचना, पदमपुर, 2031	29
14	योजना परिक्षेत्र, पदमपुर –2031	31
15	प्रस्तावित भू-उपयोग, पदमपुर, 2031	35
16	प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, पदमपुर–2031	38
17	औद्योगिक गतिविधियों के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर 2031	40
18	राजकीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर 2031	42
19	आमोद-प्रमोद, पदमपुर–2031	43
20	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर–2031	44
21	शैक्षणिक संरचना, पदमपुर–2031	45

22	चिकित्सा सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर 2031	46
23	अन्य सामुदायिक सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर-2031	47
24	जनोपयोगी सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर 2031	48
25	परिसंचरण, पदमपुर-2031	51
26	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, पदमपुर-2031	52
27	सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, पदमपुर-2031	52

परिचय

पदमपुर नगर राजस्थान के उत्तर में जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर से 38 किलोमीटर दूर जिले के दक्षिण-पश्चिम दिशा में सम्भागीय मुख्यालय बीकानेर से 247 किलोमीटर एवं राज्य की राजधानी जयपुर से 470 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह श्रीगंगानगर जिले का उप खण्ड मुख्यालय है एवं यहां पर 'सी' श्रेणी की नगर पालिका स्थित है। पदमपुर का जनसंख्या की दृष्टि से जिले में नवां स्थान है।

पदमपुर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है तथा इसका समीपस्थ रेलवे स्टेशन 20 कि.मी दूरी पर गजसिंहपुर में स्थित है, जो श्रीगंगानगर व सूरतगढ़ से मीटर गेज (जो शीघ्र ब्रोडगेज होने जा रही है) से जुड़ा हुआ है। पदमपुर राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी पर स्थित होने के कारण राज्य के अन्य नगरों यथा श्री करणपुर, केसरीसिंहपुर, रायसिंहनगर, सुरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़, जैतसर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर आदि से सड़क मार्ग द्वारा भली-भांति जुड़ा हुआ है। यह माध्य समुद्र तल से लगभग 165 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ है तथा थार रेगिस्तान में 29°32' उत्तरी अक्षांश एवं 73°26' पूर्वी देशान्तर पर है। इस नगर का नामकरण बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह जी के पौत्र पदमसिंह के नाम पर हुआ है।


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रशासनिक कार्यालयों, संस्थाओं एवं कुछ औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से पदमपुर नगर का विकास हुआ है। पदमपुर नगर के विकास के साथ-साथ जनसंख्या भी लगातार तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसकी जनसंख्या वर्ष 1971 में 6359 थी। जो वर्ष 2001 में बढ़कर 16956 हो गई। शहर के पुरानी आबादी वाले क्षेत्रों का घनत्व अधिक है व बाहरी क्षेत्रों में घनत्व कम है। शहर के विकास के साथ-साथ आवासीय मकानों की सघनता, तंग सड़कों पर बढ़ता हुआ निरन्तर यातायात, अनियोजित एवं मिश्रित वाणिज्यिक स्थल, सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के अभाव जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। नगर में हो रहे विकास एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ-साथ आधारभूत सुविधाएं एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। नगर के गन्दे पानी की निकासी एवं जल प्रवाह क्षेत्र को नियोजित करना जरूरी है तथा आम जनता के लिये स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के दृष्टिकोण से अव्यवस्थित विकास को रोकना जरूरी है।

वर्तमान समस्याओं के समाधान तथा नियोजित ढंग से विकास को बढ़ावा देने के लिए समुचित कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। पदमपुर के भावी विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना (मास्टर प्लान) की आवश्यकता महसूस की गई।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 16.07.2010 को अधिसूचना जारी कर 12 राजस्व ग्रामों/चकों को अधिसूचित करते हुए वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन, बीकानेर को उक्त नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया है। नगर नियोजन विभाग द्वारा आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से मै० याशी कन्सल्टिंग सर्विसेज प्रा० लि० को मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया है। सलाहकार फर्म के माध्यम से पदमपुर नगर का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाकर आवश्यक सांख्यिकी सूचनाओं का संकलन किया गया है। इन सूचनाओं का गहन विश्लेषण कर मानचित्रों और विस्तृत आलेखों को तैयार किया गया, जो इस मास्टर प्लान की तैयारी की आधारशिला बने एवं तदनुरूप पदमपुर के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया गया। यह योजना जन समुदाय की आगामी 20 वर्षों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर तैयार की गई है। इस योजना का क्षैतिज वर्ष 2031 रखा गया है।

मास्टर प्लान के साथ चार मानचित्र, क्रमशः विद्यमान भू-उपयोग 2010, प्रस्तावित भू-उपयोग योजना 2031, नगरीय क्षेत्र मानचित्र 2031 तथा नगर मानचित्र 2010 संलग्न है। नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत मास्टर प्लान को प्रकाशित किया गया है।

इस मास्टर प्लान के संबंध में प्राप्त हुए प्रत्येक सुझाव एवं आपत्ति का विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाकर समुचित सुझावों एवं आपत्तियों को समाहित कर मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। अतः मास्टर प्लान को अंतिम रूप से तैयार कर राज्य सरकार के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।



(सुग्रीब सिंह)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(116)नवि/3/2010 दिनांक 08.05.12 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट-4)

विद्यमान विशेषताएं

एक नगर मानवीय गतिविधियों का मुख्य केन्द्र होता है, जो कि अपने आस-पास के क्षेत्र से विशिष्ट सम्बन्ध बनाये रखता है। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप यह अपने स्वयं के कार्य-कलापों को उत्पन्न करता है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि आने वाले दशकों में नगर के विकास को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित करने हेतु नीति निर्धारण करने एवं प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व, क्षेत्र के सापेक्ष नगर की स्थिति, इसके योगदान तथा महत्व का अध्ययन किया जावे। साथ ही इसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक संरचना, भू-उपयोग तथा विकास प्रवृत्ति एवं प्रगति का भी अध्ययन किया जाये, जिससे योजना मानवीय मानदण्डों के अनुरूप हो सके।

इन अध्ययनों से उन समस्त तत्वों का आंकलन किया जा सकता है तथा उन तत्वों को पहचाना जा सकता है, जिनसे नगर का विकास प्रभावित हुआ है और जो भविष्य में भी नगरीय क्षेत्र को प्रभावित करते रहेंगे। इस अध्ययन में उन सभी तथ्यों एवं उनके प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु

पदमपुर राजस्थान के उत्तर में 29°32' उत्तरी अक्षांश एवं 73°26' पूर्वी देशान्तर पर माध्य समुद्र तल से लगभग 165 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ है। पदमपुर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है तथा इसका समीपस्थ रेलवे स्टेशन 20 कि. मी की दूरी पर गजसिंहपुर में स्थित है, जो श्रीगंगानगर व सूरतगढ़ से मीटर गेज (जो शीघ्र ब्राडगेज होने जा रही है) से जुड़ा हुआ है। पदमपुर राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी पर स्थित होने के कारण राज्य के अन्य नगरों से भली-भांति जुड़ा हुआ है। यहां से राज्य एवं जिले के मुख्य नगर यथा श्री गंगानगर 38 कि.मी., गजसिंहपुर 20 कि.मी., रायसिंहनगर 29 कि.मी., अनूपगढ़ 86 कि.मी., बीकानेर 247 कि.मी., जयपुर-470 कि.मी. की दूरी पर सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।

थार रेगिस्तान में बसा होने के कारण यहां की जलवायु लगभग सम्पूर्ण वर्ष गर्म और शुष्क रहती है। नगर के चारों ओर वर्तमान में गंग कैनाल नगर परियोजना से सिंचाई होने के कारण लगभग सम्पूर्ण उप तहसील क्षेत्र हरा-भरा

रहता है। राजस्थान के इस उत्तर पश्चिमी भाग में धूल भरी आंधियाँ आती हैं, जो कि इस भू-भाग की सामान्य विशेषता है। हवा की दिशाएँ मुख्य रूप से अप्रैल से सितम्बर तक दक्षिण-पश्चिम से तथा अक्टूबर से मार्च तक उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व की ओर से होती हैं। तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण यहां का मौसम गर्म और शुष्क रहना है। गर्मी के मौसम में माह मई व जून में यहां का औसत न्यूनतम तापमान 22° डिग्री सेन्टीग्रेट एवं अधिकतम 46° डिग्री सेन्टीग्रेट तथा शीत ऋतु माह दिसम्बर व जनवरी में यहां का औसत न्यूनतम तापमान 2° डिग्री सेन्टीग्रेट रहता है। यहां मानसून का आना अनिश्चित रहता है। वर्तमान दशक में यहां की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 247 मि.मी. है। वर्तमान में यहां पर वर्ष 2004 में न्यूनतम वर्षा 63 मि.मी. एवं वर्ष 2008 में अधिकतम वर्षा 228 मि.मी. रही है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

पदमपुर, श्रीगंगानगर जिले के अन्तर्गत उप जिला खण्ड मुख्यालय है। यह राजस्थान के उत्तर व जिला मुख्यालय के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके उत्तर में श्री करणपुर केसरीसिंहपुर, दक्षिण में रायसिंहनगर, पूर्व में हनुमानगढ़ व पश्चिम में पाकिस्तान की अन्तराष्ट्रीय सीमा स्थित है। राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी से यह नगर श्री गंगानगर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, जयपुर व दिल्ली से भली-भांति जुड़ा हुआ है। इस प्रकार क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में यह राजस्थान के मुख्य जिला केन्द्रों से भली-भांति जुड़ा हुआ है। यहां थार रेगिस्तान होने के बावजूद नहरों से सिंचाई होने से यह क्षेत्र हरा-भरा रहने लगा है। अन्तराष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने से इसकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पदमपुर 'अ' श्रेणी की एक महत्वपूर्ण कृषि मण्डी है। यहां से उत्पादन राज्य के अन्य जिलों में एवं अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। मण्डी में प्रमुख सुविधाओं में राजस्थान वेयर हाउसिंग, धान मण्डी का स्टोरेज इत्यादि स्थापित है, नगर की व्यवसायिक गतिविधियां एवं जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं।

नगरपालिका के आस-पास का क्षेत्र समतल भूमि के रूप में है। यहां का अधिकतर भूमि क्षेत्रफल नहरी पानी से सिंचाई पर आधारित है। यहां की मुख्यतः फसलों में नरमा, कपास, गेहूं, चना, सरसों व तारामीरा है। पदमपुर तहसील में गंग कैनाल परियोजना से पानी मिलने से अच्छी पैदावार होता है।

पदमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। यहां से गेहूं धान, सरसों, कपास एवं खाद्य तेल आदि अन्य राज्यों में भेजा जाता है। यहां खाद्य तेल व काटन मिल स्थित होने के कारण इनके उत्पादन का भी विनिर्माण किया जाता है।

2.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस नगर का नामकरण बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह जी के पौत्र पदमसिंह के नाम पर हुआ। पदमपुर की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के अनुसार वर्ष 1947 से पूर्व में यह बैरा मण्डी के नाम से जाना जाता था। उसके पश्चात् पदमपुर के नाम से जाना गया। उस समय मण्डी में एक अस्पताल, एक पुलिस थाना व तहसील बनी हुई थी, उसके बाद मण्डी को ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 1928 में यह क्षेत्र मुख्य नहर गंग कैनल के सिंचित क्षेत्र में सम्मिलित हो गया, जिसके फलस्वरूप यहां वर्ष 1930 में मण्डी की स्थापना हुई थी। तहसील एवं मण्डी की स्थापना के पश्चात नगर में अन्य परिवारों का आगमन शुरू हुआ। 22 फरवरी 1973 में नगर के विकास कार्यों की दृष्टि से नगरपालिका की स्थापना की गई। नगर पालिका की स्थापना के लगभग 1 वर्षों पश्चात वर्ष 1974 में श्री रेशम सिंह पालिका के अध्यक्ष मनोनीत किये गये। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही नगर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये वर्ष 1927 में यहां पुलिस थाना की स्थापना की गई। नगर में सुनियोजित पेयजल व्यवस्था का शुभारम्भ वर्ष 1975 में जलदाय विभाग की स्थापना के फलस्वरूप हुआ।

2.4 जनसांख्यिकी

जनसंख्या की दृष्टि से पदमपुर जिले के दस नगरों में से सांतवां स्थान है। प्रथम बार पदमपुर को वर्ष 1971 की जनगणना में नगर की श्रेणी में रखा गया। उस समय यहां की जनसंख्या मात्र 6359 थी। जिसमें आने वाले दशकों में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 में पदमपुर की जनसंख्या 10734 थी। इसके बाद के दशकों में जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 16956 व्यक्ति तक पहुंच गई। वर्ष 2010 में यहां की जनसंख्या 23860 आंकी गयी है। पदमपुर की उत्तरोत्तर वृद्धि का मुख्य कारण गंग कैनल परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलना रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यहां सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों एवं औद्योगिक इकाईयों की स्थापना होना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण रहा है। पदमपुर की जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को तालिका-1 में दर्शाया गया है :-

तालिका – 1

जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, पदमपुर (1971–2010)

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	प्रतिशत
1971	6359	—	—
1981	10734	4375	68.80
1991	13368	2634	24.54
2001	16956	3588	26.84
2010*अनुमानित जनसंख्या	23860	6904	40.71

स्रोत : भारतीय जनगणना व अनुमान

वर्ष 2001 में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत का अनुपात 53:47 था। यहां की साक्षरता दर 63.61 प्रतिशत है जो कि श्री गंगानगर जिले की साक्षरता दर (64.74) से कम व राज्य की औसत साक्षरता दर (61.03) प्रतिशत एवं राष्ट्रीय दर 59.5 प्रतिशत से अधिक है। पुरुषों में शिक्षा का अनुपात 57 प्रतिशत एवं स्त्रियों में यह 43 प्रतिशत है। जनगणना 2001 के अनुसार औसत पारिवारिक आकार 5.8 व्यक्ति है व लिंग अनुपात 891 था, जो कि जिला मुख्यालय श्री गंगानगर (873) से अधिक तथा राज्य स्तर (922) व राष्ट्रीय स्तर (933) से कम है। पदमपुर नगर लगभग 845 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार नगरीयकृत क्षेत्र का जन घनत्व 27 व्यक्ति प्रति एकड़ था तथा अनुमानित जनसंख्या 2010 के अनुसार नगरीयकृत क्षेत्र का जन घनत्व 38 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

2.5 व्यवसायिक संरचना

पदमपुर में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 27.24 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 2001 में 29.15 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 3642 व्यक्ति व वर्ष 2001 में 4943 व्यक्ति नगर में विभिन्न कार्यकलापो में कार्यरत थे। वर्ष 2001 में कुल कार्यशील व्यक्तियों में से 1.31 प्रतिशत प्राथमिक सैक्टर 22.54 प्रतिशत द्वितीय सैक्टर में तथा 76.15 प्रतिशत तृतीय सैक्टर में लगे हुए थे। पदमपुर की व्यावसायिक संरचना को तालिका-2 में दर्शाया गया है। इस तालिका का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि इस कस्बे में कृषि पर आधारित व्यापार एवं

वाणिज्यिक कार्यों में अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण गंग कैनल परियोजना से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होना रहा है।

तालिका – 2

व्यावसायिक संरचना, पदमपुर, 1991–2001 एवं 2010

क्र. सं.	व्यवसाय	1991		2001 (अनुमानित)*		2010 (अनुमानित)*	
		व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत	व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत	व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत
1	काश्तकार, कृषि मजदूर, वानिकी इत्यादि	327	8.98	65	1.31	37	0.07
2	उद्योग	724	19.88	988	19.99	1513	20.17
3	निर्माण	79	2.17	126	2.55	195	2.62
4	व्यापार एवं वाणिज्य	1446	39.70	1969	39.83	2996	39.95
5	परिवहन एवं संचार	371	10.19	689	13.94	1051	14.04
6	अन्य सेवायें	695	19.08	1106	22.38	1726	23.14
	कुल	3642	100	4943	100	7515	100
	कामगारों का प्रतिशत	27.24		29.15		31.15	

स्रोत : भारतीय जनगणना 1991, 2001* एवं 2010* अनुमानित

2.6 विद्यमान भू-उपयोग

पदमपुर नगर लगभग 845 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2010 में लगभग 626 एकड़ क्षेत्र नगरीयकृत है। नगर के कुल नगरीयकृत क्षेत्र में से 535

एकड़ विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जो लगभग 85.48 प्रतिशत है। शेष क्षेत्र कृषि, रिक्त भूमि, जलाशय इत्यादि के अन्तर्गत आता है।

वर्तमान में अधिकतम शहरी विकास श्रीकरणपुर रोड़ के पश्चिम दिशा में हो रहा है। यह वृद्धि श्रीकरणपुर व श्रीगंगानगर की और राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी के दोनों तरफ अग्रसर है। नगर का कुछ विस्तार राज्य राजमार्ग-7 के पश्चिम में दक्षिण-पूर्व दिशा में अग्रसर है।

वर्तमान भू-उपयोग की गणना के आधार पर कुल विकसित क्षेत्र का 46.73 प्रतिशत आवासीय, 12.52 प्रतिशत वाणिज्यिक, 9.35 प्रतिशत औद्योगिक तथा 1.31 प्रतिशत राजकीय के अन्तर्गत आता है। आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक में क्रमशः 1.68 प्रतिशत, 10.84 प्रतिशत व 17.57 प्रतिशत परिसंचरण में है। वाणिज्यिक गतिविधियां नगर में सड़कों के किनारे चल रही हैं, जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश भागों में मिश्रित भू-उपयोग है। यहां धान मण्डी के साथ रीको का औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी के आस-पास होटल, ढाबे एवं वाहनों की मरम्मत आदि का कार्य हो रहा है। धान मण्डी के पास गोदाम एवं वेयर हाउसिंग की समुचित व्यवस्था है। सम्पूर्ण गतिविधियां नगर में ही केन्द्रित होकर रह गई है। नगर के अन्दर बी.एस.एन.एल कार्यालय, धान मण्डी व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है। राजकीय कार्यालय जैसे सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तहसील एवं पंचायत कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत प्रसारण एवं उत्पादन निगम आदि के कार्यालय अन्दर ही स्थित है। बस स्टैण्ड, नगरपालिका, पोस्ट ऑफिस मुख्य राज्य राजमार्ग-3 पर स्थित है। नगर के बाहर खुले स्थलों में आवासीय कॉलोनियां काटी जा रही है। श्रीकरणपुर रोड़ पर एक पुलिस थाने के पास तथा दूसरी उत्तर दिशा में एक शिव कॉलोनी निजी कॉलोनाईजर्स द्वारा विकसित की जा रही है। अतः धीरे-धीरे जनता का मानस नगर के बाहरी क्षेत्र में बसने का बनता जा रहा है।

उपरोक्त समस्त उपयोगी हेतु नगरपालिका के कुल 845 एकड़ क्षेत्र में से 626 एकड़ क्षेत्र वर्तमान में नगरीयकृत है, जिसमें से 535 एकड़ विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। वर्ष 2010 में यहां की जनसंख्या का आंकलन 23860 व्यक्ति किया गया है, इस आधार पर कुल नगरीयकृत क्षेत्र का जन घनत्व 38 व्यक्ति प्रति एकड़ है। पदमपुर के विद्यमान भू-उपयोग 2010 को तालिका-3 में दर्शाया गया है।

तालिका – 3

विद्यमान भू-उपयोग, पदमपुर, 2010

क्र.सं.	भू – उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	250	46.73	39.94
2	वाणिज्यिक	67	12.52	10.70
3	औद्योगिक	50	9.35	7.99
4	राजकीय	7	1.31	1.12
5	आमोद-प्रमोद	9	1.68	1.44
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	58	10.84	9.27
7	परिसंचरण	94	17.57	15.02
	कुल विकसित क्षेत्र	535	100	85.48
8	राजकीय आरक्षित	0		0
9	कृषि	51		8.14
10	रिक्त भूमि	35		5.59
11	जलाशय	5		0.79
	कुल नगरीयकृत क्षेत्र	626		100

स्रोत – सलाहकार, सर्वेक्षण एवं आकलन

2.6.1 आवासीय

पदमपुर में विद्यमान भू-उपयोग के अनुसार 250 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित हो चुकी है। पदमपुर का कुल नगरीयकृत क्षेत्र 904 एकड़ है। कुल आवासीय जन घनत्व वर्ष 2010 में 95 व्यक्ति प्रति एकड़ है। पुराने शहर की आबादी का औसत जन घनत्व लगभग 80 व्यक्ति प्रति एकड़ है एवं बाहरी विकसित क्षेत्र का औसत जन घनत्व लगभग 35 व्यक्ति प्रति एकड़ है। आवासीय क्षेत्र मुख्य रूप से नगरपालिका एवं मण्डी विकास समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत विकसित किया गया है। पदमपुर नगर में उच्च जन घनत्व

वाले आवासीय क्षेत्र वार्ड संख्या 1, 2, 9, 19 एवं 20 हैं, नगर में अधिकतम जन घनत्व वार्ड संख्या 8 में है।

पुराने नगर में आवासीय बसावट काफी सघन है एवं खुले क्षेत्रों का सर्वथा अभाव है। सड़कों का रख-रखाव असन्तोषप्रद है। भवन एक दूसरे से सटे हुए हैं, सड़कें एवं गलियां आपस में समकोण पर मिलती है।

2.6.1(अ) आवासन

भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार पदमपुर नगर में 2755 परिवार 4875 मकानों में निवास करते थे। जबकि वर्ष 2010 में 3368 परिवार 5463 मकानों में निवास करते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि नगर में निवास कर रहे परिवारों के अनुपात में आवासों की उपलब्धता सन्तोषप्रद है।

2.6.1(ब) कच्ची बस्तियां

नगर में राजकीय भूमि पर कुछ कच्ची बस्तियां विकसित हो गई हैं, कच्ची बस्तियों में वर्तमान में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। वर्तमान में पदमपुर में कुल 4 कच्ची बस्तियां हैं। तालिका-4 में पदमपुर कच्ची बस्तियों का विवरण दर्शाया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गजसिंपुर में आधार वर्ष 2010 में अनुमानित जनसंख्या 23860 में से लगभग 1320 व्यक्ति, जो कि कुल अनुमानित जनसंख्या का 5.53 प्रतिशत है, कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे हैं।

तालिका – 4

कच्ची बस्ती, पदमपुर, 2010

कच्ची बस्ती का नाम	वार्ड संख्या	जनसंख्या	परिवार
गणपतसिंहपुरा	1 व 20	800	121
धक्का बस्ती	4, 5, व 6	147	39
तहसील कॉलोनी	12	123	20
गऊशाला के पास वाली बस्ती	19	250	41
योग		1320	221

स्रोत: नगरपालिका, पदमपुर

2.6.1 (स) शहरी नवीनीकरण

अभी तक पदमपुर में किसी क्षेत्र का पुनर्स्थापना, पुनर्विकास एवं नवीनीकरण का कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, जो कि समय के साथ अति-आवश्यक है। भविष्य में नई योजनाएं बनाते समय कच्ची बस्तियों एवं पुराने क्षेत्रों का पुनर्विकास तथा नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

2.6.2 वाणिज्यिक

पदमपुर नगर में वाणिज्यिक गतिविधियां के अन्तर्गत वर्तमान में नगर के कुल विकसित क्षेत्र में लगभग 67 एकड़ भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा है। पदमपुर की बढ़ रही जनसंख्या के लिये मांग व भूमि की कीमतों के कारण वाणिज्यिक क्षेत्रों में अतिक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में अतिक्रमण के भारी दबाव के कारण बाजार अव्यवस्थित होते जा रहे हैं।

पदमपुर में सुनियोजित मार्केट कॉम्प्लेक्स का अभाव है, वर्तमान में यहां 10 खुदरा वाणिज्यिक स्थल है जहां सिर्फ नई मण्डी एवं वेयर हाउस में पार्किंग की सुविधा है। अन्य बाजारों में पार्किंग उपलब्ध नहीं है। वेयर हाउस तथा धान मण्डी 70 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। नगर के मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां केन्द्रित हैं। यहां सड़क के दोनों ओर दुकानें बनी हुई हैं, नगर के भीतरी व्यावसायिक क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है तथा यातायात व पार्किंग की सुविधाओं का अभाव है।

पदमपुर नगर के वार्ड संख्या 3 में राज्य राजमार्ग-7बी पर 6 एकड़ क्षेत्र में नई धान मण्डी स्थित है। पुरानी मण्डी में लोहा, लकड़, अनाज, सब्जी व कपास इत्यादि का व्यापार होने से यह भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र हो गया है।

पदमपुर मुख्य रूप से कृषि विपणन बाजार के रूप में विकसित होता आया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से मण्डी अपना प्रमुख स्थान रखती है। इस तहसील की रबी की मुख्य फसलों में गेहूँ, सरसों, चना व तारामीरा तथा खरीफ की फसलों में नरमा, कपास की पैदावार होती हैं। नगर से गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि फसलों का निर्यात होता है।

नगर में उपरोक्त व्यापारिक गतिविधियों के फलस्वरूप एवं नगरीय क्षेत्र में सड़कों के संकड़ी व धनी आबादी क्षेत्र होने को दृष्टिगत रखते हुए श्रीगंगानगर से गजसिंहपुर-रायसिंहनगर सड़क पर यातायात दबाव को कम करने के लिये बाई-पास प्रस्तावित किया जाना है।

2.6.3 औद्योगिक

औद्योगिक दृष्टि से पदमपुर काफी पिछड़ा हुआ है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वर्ष 1981 तक यहां छोटे-मोटे घरेलू उद्योगों के अलावा कुछ नहीं था। गंग कैनल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण, यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगने लगे। यहां पर धान मण्डी के साथ रीको का औद्योगिक क्षेत्र भी स्थित है। जिसमें कपास से रूई व बिनौल अलग करने की जिनिंग एवं प्रोसेसिंग मिल्स के अतिरिक्त तेल मिल्स स्थित है, परन्तु गत समय में वर्षा एवं नहर में

पानी की कम आवक के कारण फसलों पर विपरीत असर पड़ने के कारण इन मिलों में से कुछ मिल्स पूर्णतया बन्द हो चुकी है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यहां पर कुल कार्यरत व्यक्तियों का 2.03 प्रतिशत औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत थे, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 4.03 प्रतिशत हुआ है। वर्ष 2010 में यह 353 व्यक्ति एवं 4.70 प्रतिशत है। रीको द्वारा 25.30 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाकर 18.87 एकड़ भूमि विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों हेतु आवंटित कर दी गई है।

उपरोक्त उद्योगों के अतिरिक्त उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यहां अन्य औद्योगिक इकाइयां विद्यमान है, जिला उद्योग केन्द्र, श्री गंगानगर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 21 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां नगर में कार्यरत हैं तथा इनमें लगभग 134 कामगार लगे हुए हैं। नगर के विभिन्न मार्गों पर चर्म, खाद्य, तेल, लकड़ी, सीमेंट, कॉटन, मरम्मत एवं सेवा कार्य, लोहा इत्यादि पर आधारित औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है।

यहां किसी प्रकार का वृहद् उद्योग अथवा खनन क्षेत्र नहीं है। वर्तमान में यहाँ 50 एकड़ भूमि औद्योगिक इकाइयों के अन्तर्गत विद्यमान है। उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अन्य औद्योगिक इकाइयां का विवरण तालिका-5 में दर्शाया गया है।

तालिका – 5

औद्योगिक इकाइयां, पदमपुर, – 2010

क्रम संख्या	औद्योगिक इकाइयों के प्रकार	इकाइयों की संख्या	इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	कृषि वन आधारित	4	42
2	वन उपज आधारित	1	7
3	पशुधन आधारित
4	खनिज आधारित
5	अभियांत्रिक आधारित	12	62
6	खादय आधारित	1	12
7	रबड़ आधारित	1	4
8	अन्य	2	7
	कुल	21	134

स्रोत: जिला उद्योग कार्यालय, श्रीगंगानगर

2.6.4 राजकीय

2.6.4 (अ) सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

वर्तमान में पदमपुर में 20 कार्यालय कार्यरत है, जिनमें केन्द्र सरकार के 2, राज्य सरकार के 11 सरकारी एवं 7 अर्द्ध-सरकारी कार्यालय स्थित हैं। केन्द्र सरकार के 2 सरकारी कार्यालयों में सशस्त्र सीमा बल, तथा दूर संचार विभाग हैं। राज्य सरकार के 11 सरकारी कार्यालयों में वार्ड संख्या 12 में उप जिला खण्ड, तहसील, वार्ड संख्या 5 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा अन्य वार्डों में कृषि अनुसंधान केन्द्र, अभियोजन विभाग, उपकोष व पी.डब्ल्यू.डी. वरिष्ठ ब्लाक शिक्षा अधिकारी, डी.पी.ई.पी. सिंचाई विभाग, आबकारी विभाग इत्यादि कार्यालय स्थित है। अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०, क्रय-विक्रय सहकार समिति, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस, पंचायत समिति एवं आंगन बाड़ी इत्यादि कार्यालय स्थित है। इन भवनों में कार्यस्थलों का समुचित स्थान है। उपरोक्त समस्त कार्यालयों में लगभग 566 कर्मचारी कार्यरत है। इन कार्यालयों के अन्तर्गत वर्तमान में 7 एकड़ भूमि का उपयोग हो रहा है। वर्ष 2010 में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों की स्थिति को तालिका-6 में दर्शाया गया है :-

तालिका - 6

सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, पदमपुर, 2010

क्र.सं.	कार्यालय का प्रकार	कार्यालयों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	केन्द्र सरकारी कार्यालय	2	43
2	राज्य सरकारी कार्यालय	11	386
3	अर्द्ध सरकारी कार्यालय	7	137
	योग	20	566

स्रोत: नगरपालिका, पदमपुर

2.6.5 आमोद-प्रमोद

वर्तमान में आमोद-प्रमोद में पदमपुर काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहां पर आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत लगभग 9 एकड़ भूमि है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का मात्र 0.43 प्रतिशत है, इस उपयोग के लिये कम भूमि होना यहां पर इन

साधनों की कमी का होना दर्शाता है। वर्तमान में यहां दो सामुदायिक पार्क वार्ड संख्या 9 व 12 में स्थित है। यहां पर नगरीय स्तर का बड़े उद्यान का अभाव है। इसके अतिरिक्त नगर में वार्ड नं. 3 में राज्य राजमार्ग-7बी पर खेल-कूद हेतु शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिंघु स्टेडियम है।

2.6.5 (अ) मेले एवं पर्यटन सुविधाएं

पदमपुर नगर में कोई पर्यटन अथवा ऐतिहासिक स्थल नहीं होने से यहां किसी भी प्रकार की पर्यटन सुविधाएं नहीं हैं। यह क्षेत्र मेलों की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। नगर पालिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां वर्तमान में किसी भी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। यहां राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मनाये जाने वाले त्यौहार होली, दशहरा व दिपावली इत्यादि हर्षोल्लास के साथ मनाये जाते हैं।

2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक सुविधाएं, चिकित्सा, धार्मिक, ऐतिहासिक, जनोपयोगी सुविधाएं तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं आदि सम्मिलित हैं। नगर के विकास एवं जनसंख्या में वृद्धि के साथ सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार/विकास नहीं होने से वर्तमान उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत विद्यमान भू-उपयोग-2010 के आंकलन के अनुसार लगभग 58 एकड़ भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 10.84 प्रतिशत है।

2.6.6 (अ) शैक्षणिक सुविधाएं

पदमपुर में शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोषजनक विकास हुआ है यहां पर शिक्षण संस्थाओं की संख्या पर्याप्त है। यहां 5 महाविद्यालय, 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 4 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 17 प्राथमिक विद्यालय हैं। यहां 5 महाविद्यालयों में प्राणनाथ परनामी महाविद्यालय, सुरेन्द्र कौर मेमोरियल महाविद्यालय, लेखराम हरनाम दास महाविद्यालय तथा अग्रसेन डिग्री कॉलेज है। इसी प्रकार नगर के विभिन्न वार्डों में यथा वार्ड संख्या 5, 12 व 14 तथा नगर के अन्य स्थानों पर माध्यमिक उच्च प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालय संचालित है। वार्ड संख्या 5 में एक व्यवसायिक ट्रेनिंग सेन्टर महाराज अग्रसेन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। उपरोक्त समस्त शिक्षण संस्थानों में कुल 3599 विद्यार्थी अध्ययनरत है। महाविद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान इत्यादि की सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थान है।

वर्तमान में यहाँ पर शैक्षणिक सुविधाओं के अन्तर्गत 22 एकड़ भूमि विद्यमान है। पदमपुर में शिक्षा सुविधाओं की स्थिति को तालिका-7 में दर्शाया गया है:-

तालिका - 7

शिक्षा सुविधाएं, पदमपुर, 2010

क्र.सं.	विद्यालयों के प्रकार	आयु वर्ग	विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	6-11	1451	17
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	12-14	511	6
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	15-18	525	4
	योग		2487	27

स्रोत: नगरपालिका, पदमपुर, 2010

2.6.6 (ब) चिकित्सा सुविधाएं

पदमपुर में वार्ड संख्या 18 में वर्ष 1947 से पूर्व में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जिसमें 30 शैय्याएं हैं। स्वास्थ्य केन्द्र में वर्तमान में 5 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, जिनमें से 4 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। यह सुविधा लगभग प्रतिदिन डेढ़ हजार व्यक्तियों पर 2 शैय्या के औसत से उपलब्ध है। यहाँ एम्बुलेंस, एक्स-रे मशीन, ईसीजी आदि की सुविधा है। यहां एक राजकीय पशु चिकित्सालय है जो वार्ड नम्बर 18 में स्थित है। यहां 3 निजी चिकित्सालय दशमेश क्लिनिक, खुशाल हेल्थ सेन्टर व रमन क्लिनिक नगर में अन्य स्थानों पर संचालित है। वर्तमान में यहाँ पर 2 एकड़ भूमि पर चिकित्सा सुविधाएं विद्यमान है। पदमपुर में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति को तालिका-8 में दर्शाया गया है।

तालिका – 8

पदमपुर की चिकित्सा सुविधा की सूची

क्रम संख्या	चिकित्सा सुविधा	संख्या	उपलब्ध शैय्या
1	राजकीय चिकित्सालय	1	30
2	निजी चिकित्सालय	3	—
3	राजकीय पशु चिकित्सालय	1	3

स्रोत: नगरपालिका, पदमपुर

2.6.6 (स) सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक

पदमपुर में सामाजिक / सांस्कृतिक गतिविधियां सामान्य स्तर की होने के कारण विभिन्न समुदायों के व्यक्ति नगर में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नगर के विभिन्न स्थानों पर मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च इत्यादि धार्मिक स्थल हैं। जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई समुदायों के लोग पूजा, ईबादत व प्रार्थनाएं करते हैं। यहां कुल 10 मन्दिर जिनमें दुर्गा, वाल्मिकी, बाबा रामदेव, विशनोई, विश्वकर्मा, लक्ष्मी मन्दिर, श्रीराम मन्दिर व झुल्लेलेलाल मन्दिर है, मुख्य रूप से वार्ड संख्या 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, व 18 में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहां गुरुद्वारों में कलगीधर गुरुद्वारा, अरोड़ वंश, सिंहसभा, संत करनार अरोड़ वंश, नानक दरबार व अरोड़ वंश गुरुद्वारे वार्ड संख्या 5, 10, 11, 13, 14 एवं 17 में स्थित है। यहां पर 1 मस्जिद 24 बीबी गणपतसिंहपुरा में एवं 1 चर्च वार्ड संख्या 1 में स्थित है। उपरोक्त समस्त धार्मिक स्थल का कुल 2.50 एकड़ क्षेत्र में विद्यमान है।

2.6.6 (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत यहां वार्ड संख्या 12 में एक पुलिस थाना, नगर पालिका, बस टर्मिनल एवं वार्ड संख्या 3 में दूरभाष केन्द्र है। यहां 5 सामुदायिक भवन जो क्रमशः वार्ड संख्या 2, 6, 8, 16 व 20 में स्थित है। यहां 6 धर्मशाला यथा खटीक धर्मशाला, धानक धर्मशाला, सिंघी समाज समिति, अरोड़ वंश सेवा सदन, अरोड़ वंश बरात घर और अग्रवाल धर्मशाला है। यहां एक सिंचाई विभाग का नहरी विश्राम गृह भी स्थित है। अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत अग्निशमन की सुविधा श्याम नगर क्षेत्र में होने के अतिरिक्त यहां पर निजी क्षेत्र में तीन विवाह स्थल गणपति मैरिज पैलेस, रोमल गार्डन एवं उत्सव

पैलेस स्थित है। जहां विभिन्न समुदाय के लोगों द्वारा निजी स्तर पर समारोह आयोजित किये जाते हैं। वर्तमान में यहाँ पर अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत 6.5 एकड़ भूमि विद्यमान है।

2.6.6. (य) जनोपयोगी सुविधाएं

2.6.6 (य) (i) जलापूर्ति

पदमपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत बीबी वितरिका है, जो जलदाय योजना से लगभग 1.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, नहर से प्रतिदिन लगभग 3.75 क्यूसेक पानी की पक्के वाटर कोर्स के जरिये आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त यहां पर 2 कुंए भी स्थित हैं। जिनके माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। नगर में प्रतिदिन 2300 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है, यह लगभग 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। नगर में पर्याप्त दबाव से जल वितरण के लिए 2 ओवरहेड टैंक निर्मित हैं जिसकी कुल क्षमता 675 किलो लीटर है, इसके अतिरिक्त नगर में 1 सी.डब्ल्यू.आर. जिनकी क्षमता 340 किलो लीटर है, के माध्यम से दिन में एक बार एक से डेढ़ घण्टे की अवधि में पानी का वितरण किया जाता है। नहरी वितरिका का पानी जल स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा कंवरपुरा रोड़ पर संचालित जलदाय योजना जिसमें 6500 किलो लीटर के रॉ वाटर टैंक के माध्यम से जल एकत्रित कर 2 एम. एल. डी. आर. जी. एम. एवं 3 एम एल. डी. एस. एस. एम. फिल्टरों के माध्यम से शुद्धिकरण उपरान्त वितरित किया जाता है। यहां कुल 3201 कनेक्शन हैं। वर्तमान में यहाँ पर जलापूर्ति के अन्तर्गत 9 एकड़ भूमि विद्यमान है। पदमपुर में जलापूर्ति की स्थिति को तालिका-9 में दर्शाया गया है:-

तालिका – 9

जलापूर्ति, पदमपुर, 2010

क्र.सं.	उपयोग	कनेक्शन की संख्या
1	घरेलू	2934
2	व्यावसायिक	242
3	औद्योगिक	25
	योग	3201

स्रोत: जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, पदमपुर, 2010

2.6.6 (य) (ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

पदमपुर में मल-जल निकास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वर्षा के पानी के निकास के लिये नालियों का उचित प्रावधान नहीं है। जिससे वर्षा के मौसम में पानी इधर-उधर सड़कों पर भरा रहता है तथा यातायात में बांधा आती रहती है। नगर पालिका ने कुछ स्थानों पर नालियों का निर्माण करवाया है, परन्तु अभी भी सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। नगर के अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक या सोक पिट की व्यवस्था है। स्वच्छ नगर के लिये सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है। वर्तमान में नगर में गन्दे पानी का निस्तारण खुले नाले के माध्यम से नगर के मध्य में वेयर हाउसिंग के पूर्वी दिशा में वार्ड संख्या 3 में स्थित गन्दे तालाब में किया जाता है। वर्तमान में पदमपुर नगरपालिका द्वारा नगर के 4 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में ठोस कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। इस हेतु 3 ट्रेक्टर ट्राली लगायी गयी है। यहां कचरा निस्तारण हेतु वर्तमान में लैण्ड साईट का चयन एवं निर्धारित नहीं किया गया है। अतः कचरा प्रबंधन किया जाना अति आवश्यक है।

2.6.6 (य)(iii) विद्युत आपूर्ति

पदमपुर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। शहर में कुल 26667 यूनिट प्रतिदिन बिजली सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त होती है। यह आपूर्ति 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन द्वारा वितरित की जाती है, जो कि वार्ड संख्या 15 में पदमपुर से श्रीगंगानगर को जाने वाले राज्य राजमार्ग के उत्तरी दिशा में स्थित है। विद्युत सब स्टेशन राज्य की मुख्य विद्युत प्रणाली से जुड़ा है। यहां प्रतिदिन आवश्यकतानुसार 1-3 घण्टे की अवधि तक विद्युत कटौती की जाती है। वर्तमान में नगर में 66 बल्ब, 27 सोडियम, मर्करी लाईट व 635 ट्यूब लाईट के माध्यम से रोशनी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है।

यहां प्रतिदिन 26667 यूनिट बिजली की खपत है। जबकि बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते क्रियाकलापों के लिये अधिक बिजली की आवश्यकता है। वर्तमान में यहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुविधाओं हेतु 9 एकड़ भूमि विद्यमान है। पदमपुर में वर्ष 2010 में नगर में विद्युत कनेक्शन की संख्या को तालिका-10 में दर्शाया गया है।

तालिका – 10

विद्युत आपूर्ति, पदमपुर, 2010

क्र.सं.	उपयोग	कनेक्शन की संख्या
1	घरेलू	2000
2	व्यावसायिक	1000
3	औद्योगिक	100
	योग	3100

स्रोत: जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पदमपुर, 2010

2.6.6(य) श्मशान एवं कब्रिस्तान

पदमपुर में वर्तमान में कोई कब्रिस्तान नहीं है। यहां पर दो श्मशान हैं, जो क्रमशः मु.नं. 2 चक 23 बीबी एवं मु. न. 4 चक 21 बीबी पर स्थित हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल 4.75 एकड़ है।

यदि नगर में श्मशान अथवा कब्रिस्तान हेतु क्षेत्र कम पड़ते हैं तो और श्मशान एवं कब्रिस्तान परिधि नियंत्रण क्षेत्र में प्रस्तावित किये जा सकते हैं। प्रयास यह भी रहना चाहिए कि यदि कोई श्मशान नगर के बीचों बीच विकसित क्षेत्र में आ गया हो तो उसे नगर के बाहर परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाए।

2.6.7 परिसंचरण

परिसंचरण में नगर की यातायात व्यवस्था, बस तथा ट्रक टर्मिनल एवं रेलवे सेवा सम्मिलित की जाती हैं, जिसके अन्तर्गत पदमपुर में लगभग 94 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है, जो विकसित क्षेत्र का लगभग 17.57 प्रतिशत है।

2.6.7 (अ) यातायात व्यवस्था

पदमपुर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है तथा इसका समीपस्थ रेलवे स्टेशन 20 कि.मी. की दूरी पर गजसिंहपुर में छोटी रेलवे लाईन (जो कि शीघ्र ब्रॉडगेज होने जा रही है) पर स्थित है, जो इसे श्री गंगानगर व सूरतगढ़ इत्यादि शहरों से जोड़ती है। राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी इस नगर के प्रमुख मार्ग हैं, इसके अतिरिक्त यह नगर विभिन्न सड़क मार्गों द्वारा श्री गंगानगर, रायसिंहनगर, रिडमलसर, जैतसर, केसरीसिंहपुर, हनुमानगढ़ श्रीकरणपुर व

बीकानेर इत्यादि से भली-भांति जुड़ा हुआ है। भविष्य में नगर के विकास हेतु उपरोक्त मार्गों का प्रमुख योगदान रहेगा।

उपरोक्त मुख्य मार्गों के अतिरिक्त नगर में समानान्तर सड़कों एवं गलियों का जाल बिछा हुआ है। राज्य राजमार्ग-3 पर बस स्टैण्ड, पोस्ट ऑफिस, नगरपालिका, धर्मशाला व अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने के कारण यह सड़क अतिव्यस्त है। राज्य राजमार्ग-7बी के श्रीकरणपुर मार्ग पर नगर में स्टेडियम, लघु व मुख्य उद्योग, धान मण्डी, गोदाम, औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है, जिसके फलस्वरूप नगर में निरन्तर यातायात दबाव की समस्या बनी रहती है।

नगर के अन्दर सड़कों के साथ-साथ मकान एवं दुकानें बनी हुई हैं। नगर में अधिकांशतः मिश्रित भू-उपयोग है। नगर में मुख्य सड़कों की चौड़ाई 12 मीटर है, जिनके किनारे पर वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण अतिक्रमण होने एवं अव्यवस्थित पार्किंग से मुख्य सड़कों एवं राज्य मार्ग की चौड़ाई कम हो गई। नगर के छोटे रास्तों के साथ-साथ मकानों के आगे चबूतरे बनने से ये रास्ते भी संकरे हो गये हैं। चौराहों पर भी अतिक्रमण हो रहा है, जिससे सुगम यातायात में बाधा आती है। नगर पालिका क्षेत्र में नगरपालिका के सामने वाली सड़क 12 मीटर चौड़ी व अन्य सड़क 4.5 मीटर से 6 मीटर तक है। अधिकतर सड़कों का निर्माण नगरपालिका द्वारा करवाया जाता है। चूंकि नगर पुराना बसा हुआ है, अतः सड़क की चौड़ाई बढ़ाना संभव नहीं है तथा यह आवश्यक है कि सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाये एवं बस, टैक्सी स्टैण्ड व धान मण्डी इत्यादि नगर से बाहर स्थानान्तरित किये जाएं, जिससे कि नगर के रास्तों में बड़े वाहन जैसे बस इत्यादि का आवागमन रोका जा सके। नगर में खुले स्थल काफी कम हैं, अतः पार्किंग की व्यवस्था आस-पास में उपलब्ध क्षेत्र में की जा सकती है। राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी के बाहरी क्षेत्रों में ज्यादा अतिक्रमण नहीं हुआ है, अतः भविष्य में इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु निगरानी रखना अति-आवश्यक है।

2.6.7 (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनस

पदमपुर नगर के वार्ड संख्या 12 में गजसिंहपुर से श्रीगंगानगर जाने वाले राज्य राजमार्ग-3 पर राज्य परिवहन निगम द्वारा अनियोजित रूप से संचालित 1

बस स्टैण्ड एवं राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी के जंक्शन पर एक ट्रक टर्मिनल स्थित है, जहां से प्रतिदिन श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, रायसिंहनगर व पंजाब एवं हरियाणा के लिये लगभग 200 यात्री बसों का संचालन किया जा रहा है। इस बस स्टैण्ड पर यातायात की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार पदमपुर से निजी बस सेवा के माध्यम से प्रतिदिन रिडमलसर, केसरीसिंहपुर, जैतसर व अन्य आप पास के ग्रामीण क्षेत्र हेतु लगभग 52 यात्री बसों का संचालन किया जा रहा है। यहां पर माल परिवहन सेवा के रूप में ट्रकों, मेटाडोर, जीप, ट्रेक्टर, ट्रौली के द्वारा राजस्थान के विभिन्न नगरों व अन्य राज्यों में माल परिवहन किया जाता है। वर्ष 2010 में पदमपुर से प्रतिदिन अन्य राज्यों/नगरों में आवागमन हेतु संचालित की जा रही बसों व माल परिवहन सेवा का विवरण तालिका-11 में दर्शाया गया है।

तालिका – 11

बसों/माल परिवहन का विवरण, पदमपुर – 2010

क्र.सं.	बस का मार्ग	बसों की संख्या
(अ) राजस्थान रोड़वेज बस		
1	पदमपुर से श्री गंगानगर/पंजाब/ हरियाणा/ रायसिंहनगर / बीकानेर / श्रीकरणपुर / हनुमानगढ़	200
(ब) निजी बस सेवा		
2	पदमपुर से रिडमलसर	8
3	पदमपुर से केसरीसिंहपुर	40
4	अन्य ग्रामीण सेवा	4
(स) माल परिवहन सेवा		
5	ट्रक	216
6	जीप-कार	105
7	ट्रक-ट्रौली	30
8	मिनी ट्रक / पिकअप	15

स्त्रोत – नगरपालिका, पदमपुर

2.6.7 (स) रेल एवं हवाई सेवा

पदमपुर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है तथा इसका समीपस्थ गजसिंहपुर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जो श्रीगंगानगर व सूरतगढ़ से मीटर गेज से जुड़ा हुआ है, (जो की शीघ्र ही ब्रॉड गेज होने जा रही है) यहां पर अभी हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पदमपुर का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर हवाई अड्डा है, जो कि 470 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

नियोजन की संकल्पना

प्रत्येक नगर का अपना एक जीवन्त अस्तित्व होता है और इसका स्वरूप केवल मात्र किसी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि विकास के पीछे एक पूरा इतिहास पाया जाता है। इस प्रकार एक नगर के भौतिक स्वरूप और इसकी संरचना में उसके विकास के विभिन्न काल एवं अवस्थाओं के दौरान इसके निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप आवश्यक रूप से दिखाई देती है। समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ नगरीय संरचना के प्रतिरूप में भी इतिहास काल के दौरान परिवर्तन होता रहता है।

व्यावसायिक, परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं के विकास ने नगरों को अपनी पृष्ठभूमि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रायोगिक विकास केन्द्रों का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। पुराने नगरों के बाहरी इलाकों में बाजार, उद्यान, विद्यालय, कार्यालय इत्यादि स्थापित किये जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप तीव्रगति से विकास होने के कारण नगर में यदृच्छ विकास, संकुलित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अतः नगर नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

3.1 नियोजन की नीतियां

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाता है। एक बार नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं, तो दिन-प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ एक भू-उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। वह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जनआकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। उक्त बिन्दुओं को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। पदमपुर नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में इन क्रमों की पालना की गयी है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

पदमपुर की बढ़ती जनसंख्या, नगर के विकास की दिशा में होने वाले औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास दृष्टिगत रखते हुए भू-उपयोग के अनुरूप भूमि का आकलन किया जाना चाहिए ताकि इस अनुरूप समन्वित नियोजित विकास हो सके। उपर्युक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं:—

1. पदमपुर नगर में खाली भूमि उपलब्ध है, जिन पर अतिक्रमण तथा यदृच्छ विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः इन सभी क्षेत्रों का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक एकीकृत एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. पदमपुर के नगरीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत परिरक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए और नहर एवं जलाशय आदि के किनारे पर बाग एवं उद्यान विकसित किया जाना चाहिए।
3. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नगर में संगठित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए तथा नगर के समीप प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

4. पुराने नगर में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए एवं स्थान तथा क्षेत्रीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थानों पर व्यावसायिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए।
5. संकरी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को निषेध करने और उसे अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर अनाज, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, के थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
6. आवासीय घनत्व के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए।
7. नगर के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाए कि इससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।
8. नगर की परिधि पर किसी प्रकार से यदृच्छ विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थानीय सीमाओं के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाए। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियन्त्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।
9. पदमपुर कृषि उपज की एक प्रमुख मण्डी है। राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत इसे "अ" श्रेणी में रखा गया। 1920 के दशक में गंग कैनल परियोजना से सिंचाई सुविधा के कारण कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ और आज राजस्थान में एक प्रमुख मण्डी है। वर्तमान मण्डी प्रांगण के विस्तार की गुंजाइश नहीं है।

4.

भावी योजना का आकार

पदमपुर के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान हेतु अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 13 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 11125 एकड़ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 16956 है जो कि आधार वर्ष 2010 में बढ़कर 23860 एवं क्षितिज वर्ष 2031 में लगभग 52925 होने का अनुमान है। वर्ष 2010 में विकसित क्षेत्र 535 एकड़ है तथा आवासीय घनत्व 95 व्यक्ति प्रति एकड़ रहा है। इस बढ़ी हुयी जनसंख्या एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

पदमपुर नगर राज्य के उत्तर में स्थित है। वर्तमान में लगभग सभी गतिविधियाँ नगर के भीतर ही संचालित होती रही हैं। नगर के बाहरी भाग में ज्यादातर कृषि की जाती है। गत कुछ वर्षों से नगर से गुजर रहे राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी के आसपास विकास होना शुरू हो गया है। मुख्यतः राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी पर बस स्टैण्ड, उप जिला खण्ड एवं तहसील, ट्रक टर्मिनल, श्मशान, आईस फैक्ट्री, उत्सव मैरीज पैलेस, सिंचाई विभाग, आवासीय कॉलोनी, स्टेडियम, नई धान मण्डी, शैक्षणिक संस्थान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रीको औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि विकसित हो चुके हैं। इस प्रकार नगर का अधिकतम विकास राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी पर हो रहा है। वर्तमान में राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी नगर के विकसित क्षेत्र से गुजरने के कारण यातायात के दबाव को कम करने के लिए राज्य राजमार्ग-3 के उत्तरी दिशा में नगर के तीन तरफ बाईपास प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित बाईपास पर नगर के उत्तरी-पूर्वी भाग में राज्य मार्ग-3 पर रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार एवं राज्य राजमार्ग-7बी पर ट्रक टर्मिनस, भण्डारण एवं गोदाम एवं अन्य व्यावसायिक, शैक्षणिक, डिस्पेन्सरी व पार्क हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इसी प्रकार पश्चिमी योजना पर क्षेत्र के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में से गुजर रही उच्च वोल्टेज क्षमता की विद्युत लाईनों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम खुले स्थलों वाले भू-उपयोग, यथा स्टेडियम, कॉलेज, इत्यादि राजकीय, व्यावसायिक एवं राज्य राजमार्गों के जंक्शन पर बस स्टैण्ड इत्यादि हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये

है। दक्षिणी योजना परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग-7बी एवं राज्य राजमार्ग-3 के जंक्शन पर स्थित वर्तमान ट्रक टर्मिनस के विस्तार के अतिरिक्त इस परिक्षेत्र में अन्य शैक्षणिक, डिस्पेन्सरी व व्यावसायिक गतिविधियों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। राज्य राजमार्ग-3 के दक्षिणी भाग में स्थित दक्षिणी योजना परिक्षेत्र में फर्म हाउसों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण दृष्टि से आवासीय प्रयोजनार्थ स्थल आरक्षित किये गये हैं। इस प्रकार नगर की भावी विकास की परिकल्पना करते समय उपर्युक्त तथ्यों एवं बाध्यताओं के साथ जनसांख्यिकी, व्यवसायिक संरचना, विकास योग्य क्षेत्र, नगरीकरण योग्य क्षेत्र, योजना के परिक्षेत्रों इत्यादि महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर भू-उपयोग योजना-2031 तैयार की गई है।

4.1 जनसांख्यिकी

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पदमपुर की जनसंख्या 16956 थी। सबसे कम वृद्धि दर 1981-91 के दशक में रही जो कि 24.54 प्रतिशत थी तथा वर्ष 1971-81 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि 68.80 प्रतिशत रही। इस वृद्धि का मुख्य कारण सिंचाई की सुविधा एवं नगरीय सुविधाओं का विकास एवं रोजगार के साधनों की उपलब्धता आदि रहे हैं एवं इसके बाद के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी का होना रोजगार हेतु ग्रामीण लोगों का नगरों की तरफ स्थानान्तरण होना रहा है। चूंकि इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2010 है, अतः वर्ष 2010 की जनसंख्या 23860 के आधार पर मास्टर प्लान की गणना की गई है। वृद्धि दर पिछले 9 वर्षों से (2001-2010) में 40.71 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

पदमपुर मण्डी "अ" श्रेणी की होने के कारण राजस्थान की मण्डियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस मण्डी के कारण नगर के विकास को काफी गति मिली है। पदमपुर राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी पर स्थित होने के साथ श्री गंगानगर के अन्य महत्वपूर्ण नगर पदमपुर, रायसिंह नगर, करणपुर, अनूपगढ़, श्री विजयनगर इत्यादि से सड़क मार्ग द्वारा सुगमता से जुड़ा है। उक्त समस्त गतिविधियों व उपलब्ध सिंचाई की सुविधा, रोजगार के साधन एवं परिवहन सुविधाओं के मद्देनजर नगर में विकास की संभावनाओं के अनुरूप इसकी भावी जनसंख्या वर्ष 2031 में 52925 व्यक्ति आंकी गई है। वृद्धि दर वर्ष 2021-31 में 46.13 प्रतिशत रहने की संभावना है। जनसंख्या का अनुमान गत दशकों की वृद्धि दर एवं भावी विकास की संभावनाओं प्राकृतिक

वृद्धि व प्रवासी जनसंख्या को भी दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न गणितज्ञ अनुमान के द्वारा किया गया है। तालिका-12 में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं 2031 तक की अनुमानित जनसंख्या दर्शाई गई हैं:-

तालिका 12
जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, पदमपुर (1981-2031)

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	प्रतिशत
1981	10734	—	—
1991	13368	2634	24.54
2001	16956	3588	26.84
2010*	23860	6904	40.71
2011*	24780	920	3.85
2021*	36213	11433	46.13
2031*	52925	16712	46.13

स्त्रोत: भारतीय जनगणना एवं *अनुमान

4.2 व्यावसायिक संरचना

व्यावसायिक संरचना नगर के पिछले वर्षों में हुई जनसंख्या वृद्धि, वर्तमान, एवं भूतकालीन परिस्थितियों, भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं मुख्य नगर नियोजन कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये मानदण्डों के साथ अन्य नगरों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है तथा यह अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष 2031 तक कुल जनसंख्या के 35 प्रतिशत के लगभग कार्यशील जनसंख्या होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 1991 में यह 27.24 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 में 29.15 प्रतिशत रही है। अर्थात् वर्ष 2001 में 4943 कामगारों की तुलना में वर्ष 2031 में 18523 कामगारों की संख्या होने की संभावना है।

यह अनुमान है कि पदमपुर व्यापार एवं वाणिज्य, अन्य सेवाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास करता रहेगा। इस प्रकार नगरीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण खेतीहर मजदूरों के प्रतिशत में कमी आएगी तथा शेष क्षेत्रों में कार्य

करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि होगी। क्षितिज वर्ष में व्यावसायिक संरचना और प्रत्येक वर्ग में श्रमिकों का विवरण तालिका-13 में दर्शाया गया है:-

तालिका-13

व्यावसायिक संरचना, पदमपुर, 2031

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010 (अनुमानित)*		2031(अनुमानित)*	
		व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत	व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत	व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत
1	काश्तकार, कृषि मजदूर, वानिकी इत्यादि	65	1.31	37	0.07	13	0.07
2	उद्योग	988	19.99	1513	20.17	3737	20.17
3	निर्माण	126	2.55	195	2.62	486	2.62
4	व्यापार एवं वाणिज्य	1969	39.83	2996	39.95	7400	29.95
5	परिवहन एवं संचार	689	13.94	1051	14.04	2600	14.05
6	अन्य सेवायें	1106	22.38	1726	23.14	4287	23.14
	कुल	4943	100	7515	100	18523	100.00
	कामगारों का प्रतिशत		29.15		31.15		35.00

स्रोत : भारतीय जनगणना एवं *अनुमान

यह अनुमान लगाया गया है कि विकास के साथ-साथ कामगारों का झुकाव कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय से व्यापार एवं वाणिज्य क्रियाकलापों में बढ़ेगा, तथा अन्य सेवाओं जैसे कि परिसंचरण, उद्योग, निर्माण तथा सरकारी एवं अन्य कार्यों में भी कामगारों की वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर औद्योगिक क्रियाकलापों हेतु समुचित प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

4.3 नगरीय क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प .10(116) नविवि/3/10 जयपुर दिनांक 16.07.2010 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत पदमपुर के नगरीय क्षेत्र में पदमपुर सहित 12 राजस्व ग्रामों/चकों को अधिसूचित कर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इनका कुल अधिसूचित क्षेत्र 11125 एकड़ है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया गया है। अधिसूचित ग्रामों की सूची परिशिष्ट-3 में दी गई है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

पदमपुर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 16956 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में 52925 होने का अनुमान है। चूंकि आधार वर्ष 2010 है, अतः इस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या 23860 है। इस प्रकार योजना अवधि में लगभग 29065 व्यक्तियों की वृद्धि होगी। भविष्य में विकास हेतु वर्ष 2031 तक विकास के मानदण्डों को ध्यान में रख बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त आवासीय क्षेत्र, कार्य स्थलों एवं सामुदायिक सुविधाओं के साथ सुगम यातायात व्यवस्था के लिये 1862 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इससे जन घनत्व अनुमानतः लगभग 28 व्यक्ति प्रति एकड़ होने का अनुमान है। भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान विकास से प्रतीत होता है कि नगरीय विकास अधिकतर रेलवे लाईन के पूर्वी दिशा में होगा। रेलवे लाईन के पश्चिमी दिशा में विकास की संभावनाएं कम आंकी गई हैं।

4.5 योजना क्षेत्र

विद्यमान विशेषताओं एवं आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग सहित प्राकृतिक अवशेष तथा विभिन्न गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए पदमपुर को चार योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर शेष प्रत्येक योजना परिक्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, आमोद-प्रमोद, शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर होंगे।

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं का नगरीय क्षेत्र मानचित्र में राजस्व ग्रामों के नाम विद्यमान नगरीकृत क्षेत्र व नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल को तालिका 14 में दर्शाया गया है :-

तालिका – 14

योजना क्षेत्र, पदमपुर – 2031

क्रम संख्या	योजना	क्षेत्रफल (एकड़)
अ	उत्तरी योजना परिक्षेत्र	1105
ब	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	355
स	दक्षिणी योजना परिक्षेत्र	283
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	1743
द	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	9382
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	11125

स्रोत – सर्वेक्षण एवं आकलन

4.5 (अ) उत्तरी योजना परिक्षेत्र

इस क्षेत्र में मुख्यतः पुराने नगर का सम्पूर्ण भाग है। यह क्षेत्र राज्य राजमार्ग-3 के उत्तरी दिशा में एवं राज्य राजमार्ग-7बी के पूर्वी दिशा में स्थित है, इस क्षेत्र के उत्तर व पूर्व की तरफ प्रस्तावित बाईपास पश्चिम में राज्य राजमार्ग-7बी एवं दक्षिण में राज्य राजमार्ग-3 के मध्य का क्षेत्र स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 1105 एकड़ है। इस क्षेत्र में नगर पालिका के वार्ड संख्या 12 को छोड़कर शेष समस्त वार्ड स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है, तथा अत्याधिक भीड़-भाड़ वाला संकुचित क्षेत्र है। नगर की इस क्षेत्र की बसावट मध्य में चारों तरफ एक समान रूप से है, इस क्षेत्र चारों तरफ का लेवल लगभग एक समान रूप से है। वार्ड संख्या 18 में नगर के मध्य क्षेत्र में गंदा तालाब स्थित है। इस क्षेत्र की सड़कों समकोण पर एक दूसरे को विभाजित करती है। यहां आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण, यातायात की समस्या निरन्तर बनी रहती हैं। इस क्षेत्र के वार्ड संख्या 4, 6, 9, 19 एवं 20 में कच्ची बस्तियां स्थित है। नगर के वार्ड संख्या 3, 6, 8, 10, 14 एवं 17 में मुख्य रूप से मन्दिर व गुरुद्वारे व वार्ड संख्या 1 में चर्च स्थित है। इसी प्रकार वार्ड संख्या 13 में नगरपालिका, पोस्ट ऑफिस, स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्र वार्ड संख्या 3 में नई धान मण्डी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं वार्ड संख्या 13 व 4 में रीको औद्योगिक क्षेत्र, वार्ड संख्या

8 में पशु चिकित्सालय वार्ड संख्या 5 में स्टेडियम एवं राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, वार्ड संख्या 9 में रामदास पार्क, वार्ड संख्या 15 में विद्युत सब स्टेशन इत्यादि स्थित है। इस परिक्षेत्र से 6सीसी, 20 बीबी III, 1 डीडी, श्री गंगानगर इत्यादि नगर/ग्रामों को जाने वाले मार्ग से गुजरते हैं।

इस क्षेत्र हेतु प्रस्ताव है कि चूंकि नगर के इस भाग में जो भी खुले स्थल हैं, उनके क्षेत्रफल के आधार पर चूंकि पार्क एवं पार्किंग हेतु स्थल विकसित नहीं किया जा सकता, अतः उक्त क्षेत्र रिहायशी परियोजनार्थ प्रस्तावित है परन्तु इस क्षेत्र में विद्यमान बागों को इसी स्वरूप में प्रस्तावित किया गया है, जिससे इस परिक्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बना रह सके। इस क्षेत्र में भविष्य हेतु राज्य राजमार्ग-3 एवं प्रस्तावित बाई पास जंक्शन पर शैक्षणिक क्षेत्र एवं परिक्षेत्र के शेष भाग में मुख्यतया: आवासीय, जनोपयोगी, चिकित्सा, पशु चिकित्सालय एवं अन्य व्यावसायिक परियोजनार्थ स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4.5 (ब) पश्चिमी योजना परिक्षेत्र

यह क्षेत्र राज्य राजमार्ग-7बी के पश्चिम एवं राज्य राजमार्ग-3 के उत्तर दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र के उत्तर व पूर्व में राज्य राजमार्ग-7बी, दक्षिण में राज्य राजमार्ग-3 एवं पश्चिम में 150 फीट प्रस्तावित बाईपास के मध्य भाग का क्षेत्र स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 355 एकड़ है। यह क्षेत्र में नगरपालिका के वार्ड-सीमा के बाहर नगर के पश्चिम दिशा में वार्ड संख्या 2, 3, 4 एवं 5 की पश्चिमी सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। इस परिक्षेत्र के उत्तरी भाग में मुख्यतया आवासीय गतिविधियां, राज्य राजमार्ग-7बी पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल योजना, दशमेश कॉटन मिल्स, निजी गोदाम, औद्योगिक, 24 बीबी को जाने वाले मार्ग पर सुरेन्द्र कौर मैमोरियल कृषि कॉलेज व अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हैं। इस क्षेत्र में से नगर की अधिकतम उच्च क्षमता विद्युत लाईने गुजरती है। इस परिक्षेत्र से श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर व 24 बीबी नगरों/ग्राम को जाने वाले मार्ग गुजरते हैं।

इस क्षेत्र हेतु प्रस्ताव है की राज्य राजमार्ग-7बी पर राजकीय कार्यालयों, व्यावसायिक, शैक्षणिक, स्टेडियम, अन्य शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के अतिरिक्त योजना परिक्षेत्र में राज्य राजमार्गों के जंक्शन पर बस टर्मिनस हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

इस परिक्षेत्र हेतु सुझाव है कि भविष्य में इस क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार करते समय उच्च क्षमता विद्युत लाईनों वाले भू-भाग क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई का निर्धारण भारतीय विद्युत नियम-1956 अथवा अन्य संशोधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जावे।

4.5 (स) दक्षिणी योजना परिक्षेत्र

यह क्षेत्र राज्य राजमार्ग-3 के दक्षिण एवं राज्य राजमार्ग-7बी के पूर्व दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र के उत्तर में राज्य राजमार्ग-3, पश्चिम में राज्य राजमार्ग-7बी एवं दक्षिण व पूर्व में 150 फीट प्रस्तावित बाई पास के मध्य भाग का क्षेत्र स्थित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 283 एकड़ है। इस योजना क्षेत्र में राज्य राजमार्ग-3 पर कुछ आवासीय एवं राजकीय कार्यालय से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित होने के अतिरिक्त शेष क्षेत्र रिक्त पड़ा है। इस क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर बीबी कैनल राज्य राजमार्ग के समान्तर स्थित है। इस परिक्षेत्र में नगरपालिका का वार्ड संख्या 12 स्थित है, जिसमें मुख्यतया: उप जिला खण्ड, तहसील, ट्रक टर्मिनस, श्मशान, सत्संग भवन, सिंचाई विभाग के अतिरिक्त, नगर का पुलिस थाना एवं अन्य व्यवसायिक व शैक्षणिक गतिविधियां इत्यादि संचालित है। नगर के इस भाग में से 19 बीबी, 21 बीबी, 23 बीबी, भागसर डाबला राजस्व ग्रामों को जाने वाले मार्ग गुजरते हैं।

इस क्षेत्र हेतु प्रस्ताव है की चूंकि इस क्षेत्र को बड़े भू-भाग पर वर्तमान में फलों के बाग स्थित है। अतः पर्यावरण की दृष्टि से इन स्थलों को यथा स्थिति में रखते हुए इस परिक्षेत्र में सुनियोजित योजना हेतु निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत अधिकतम आवासीय, राज्य राजमार्ग-7बी पर भण्डारण एवं गोदाम, राजकीय, डिस्पेन्सरी एवं हॉस्पिटल के अतिरिक्त शैक्षणिक एवं अन्य वाणिज्यिक व सामुदायिक सुविधाओं हेतु परियोजनार्थ स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4.5 (द) परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र

उपर्युक्त योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान का वह भाग, जो नगरीकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। इस नियोजन क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यह क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहां पर भूमि का उपयोग कृषि, जंगलात, बागवानी, उद्यान, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल, एमयूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क एवं इनसे संबंधित उपयोगों हेतु ही उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के प्रस्ताव से नगर के बाहरी क्षेत्रों में होने वाले अव्यवस्थित नगरीय विकास पर अंकुश लगेगा। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में वृहद् परियोजनाएँ जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुंमुखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती है, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित नगरी विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 9382 एकड़ है।

5.

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना नगर नियोजन की विभिन्न नीतियों और सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर नगर के विस्तार हेतु तैयार की गयी भावी योजना है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गयी है। नगरीय भूमि दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि-सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर परिकल्पना की गयी है तथा नगर नियोजन मानदण्डों के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शायी गयी है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग योजना हेतु मदवार भू-उपयोग के लिए उपर्युक्त घनत्व के मानदण्डों के अनुसार वर्ष 2010 में भू-उपयोग में कमी/अधिकता तथा क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल एकड़ में आकलित किया गया है। इस प्रकार क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 1743 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गयी है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र में 54.45 प्रतिशत आवासीय, 7.79 प्रतिशत वाणिज्यिक, 7.40 प्रतिशत औद्योगिक, 1.18 प्रतिशत राजकीय (सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय), 10.67 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 3.09 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 15.42 प्रतिशत परिसंचरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भू-उपयोग विवरण तालिका-15 में दर्शाया गया है :-

तालिका-15

प्रस्तावित भू-उपयोग, पदमपुर, 2031

भू – उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
आवासीय	949.00	54.45	50.97
वाणिज्यिक	136.00	7.79	7.30
औद्योगिक	129.00	7.40	6.93
राजकीय	20.00	1.18	1.07
आमोद-प्रमोद	54.00	3.09	2.90
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	186.00	10.67	9.99
परिसंचरण	269.00	15.42	14.45
कुल विकास योग्य क्षेत्र	1743.00	100.00	93.61
राजकीय आरक्षित	0		0
कृषि	110		5.91
जलाशय	9.00		0.48
कुल नगरीयकरण योग्य	1862		100

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.1 आवासीय

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस प्रकार से तैयार की गयी है कि ताकि यहां स्वस्थ पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य केन्द्रों और आमोद-प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय और दूरी में कमी बनी रहे। निकटवर्ती प्रतिरूप के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन

प्रदान कर सकेगा। तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट दिन-प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 52925 व्यक्तियों को बसाने के लिए 922 एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गयी है।

मास्टर प्लान में तीन प्रकार के आवासीय घनत्व रखे गये हैं। नगर के पुराने भाग में आवासीय घनत्व 101-150 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक होगा, जबकि कार्यस्थलों और वर्तमान अर्द्ध विकसित क्षेत्र के पास वाले क्षेत्रों में जन घनत्व 51-100 व्यक्ति प्रति एकड़ प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ योजना के नियोजन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए नये आवासीय क्षेत्र 50 व्यक्ति प्रति एकड़ से कम की सघनता के साथ विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। पदमपुर में जो कच्ची बस्तियाँ बसी हुई हैं, ऐसे क्षेत्रों में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के साथ पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुधार को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। 2010 में पदमपुर में विकसित क्षेत्र का 46.73 प्रतिशत अर्थात् 250 एकड़ क्षेत्र आवासीय उपयोग के अन्तर्गत था। इस तरह आवासीय घनत्व कुल 95 व्यक्ति प्रति एकड़ आता है, जिसे क्षितिज वर्ष 2031 तक 57 व्यक्ति प्रति एकड़ किया जाना प्रस्तावित है। फलस्वरूप वर्ष 2010 की जनसंख्या के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ 169 एकड़ क्षेत्र की कमी का आकलन किया गया है। वर्ष 2010-2031 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 530 एकड़ और अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता का आकलन किया गया है। इस तरह क्षितिज वर्ष 2031 के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 949 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.1 (1) आवासन

आवास, मानव समुदाय की एक मूल आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक है कि नगरपालिका आवास परियोजना तैयार करे और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि नियोजित ढंग से लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके।

5.1 (2) अनौपचारिक सैक्टर हेतु योजना

वर्तमान में पुराने विकसित क्षेत्रों में अनौपचारिक वर्ग हेतु कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नगर में अव्यवस्थित रूप से कुछ छोटे-छोटे व्यवसाय चल रहे हैं। अतः इनको व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भविष्य में विकसित की जाने वाली कार्य योजनाओं में अनौपचारिक वर्ग हेतु उचित स्थल आरक्षित किये जावेंगे।

5.1 (3) कच्ची बस्तियाँ

नगरपालिका को चाहिए कि भविष्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाए तथा विद्यमान कच्ची बस्तियों के क्षेत्रों का नियोजित विकास एवं सुधार समयबद्ध कार्यक्रम में किया जावे। इस सम्बन्ध में पुर्नविभाजन का कार्य उन क्षेत्रों में किया जायेगा, जहां झुग्गी झोपडियां स्थापित हो चुकी है और जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाये कि विस्थापन कम से कम हो। कच्ची बस्ती क्षेत्र में सुधार और उनके पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएँ जैसे प्रकाश, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सडकों आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कच्ची बस्तियों के संद्वर्भ में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 तक बस चुकी कच्ची बस्तियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है तथा समाधान के लिए केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा अफोडेबल हाउसिंग नीति 2009-2010 जारी की गयी है तथा इस हेतु मास्टर प्लान में उत्तर की तरफ औद्योगिक क्षेत्र के समीप अफोडेबल हाउसिंग क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

5.2 वाणिज्यिक

पदमपुर वाणिज्यिक, व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक नगर के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 35 प्रतिशत के आधार पर 18523 व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों एवं अन्य वाणिज्यिक कार्यकलापों में कार्यरत रहेंगे। मास्टर प्लान में कुल 136 एकड़ क्षेत्रफल जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 7.79 प्रतिशत है, व्यावसायिक क्रियाकलापों हेतु प्रस्तावित किया गया है।

पदमपुर में भौतिक विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो दशको में नगर के प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। नगर में वाणिज्यिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से आंतरिक भाग एवं राज्य राजमार्ग-3 के दोनों ओर केन्द्रित है। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसंगत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने

के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज उपलब्ध हो सकें। इसके लिए नगर में वर्तमान में संचालित धान मण्डी को नगर के बाहर स्थानान्तरित किये जाने के साथ रिक्त हुए नगर के इस भाग में सुनियोजित व्यापारिक गतिविधियां संचालित किये जाने के साथ, मण्डी में उपलब्ध रिक्त प्रांगण को पार्किंग परियोजनार्थ उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2001 में वाणिज्यिक गतिविधियों में 1969 व्यक्ति कार्यरत थे, जो क्षितिज वर्ष में 7400 व्यक्ति होने का आकलन किया गया है। आधार वर्ष 2010 में विकसित क्षेत्र का 12.52 प्रतिशत भाग अर्थात् 67 एकड़ क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग के अन्तर्गत था, जो क्षितिज वर्ष 2031 में 7.79 प्रतिशत अर्थात् 136 एकड़ प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख के साथ-साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित पदानुक्रम वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका-16 में दर्शाया गया है:-

तालिका-16

प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, पदमपुर- 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	20
2	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	71
3	भण्डारण एवं गोदाम	32
4	वाणिज्यिक केन्द्र	13
योग		136

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.2 (1) केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र

नगर का तहबाजारी मुख्य बाजार क्षेत्र ही केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र है। वर्तमान में केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र नगर का आंतरिक भाग एवं उसके आसपास का क्षेत्र है एवं इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक सम्भावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में सड़को की चौड़ाई पर्याप्त नहीं होने के कारण यातायात, पार्किंग एवं सामान लाने व ले जाने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। मास्टर प्लान में उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी, पश्चिमी योजना क्षेत्रों में

प्रस्तावित कुल 46 एकड़ भूमि में से 20 एकड़ भूमि केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र हेतु आरक्षित की गई है।

5.2 (2) थोक व्यापार एवं विशेष बाजार

पदमपुर में वर्तमान में राज्य राजमार्ग-7बी पर 48 एकड़ भूमि पर थोक व्यापार केन्द्र स्थित है, जो नगर की वर्तमान आवश्यकताओं एवं नियोजन के मानदण्डों के अनुरूप है, भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर 23 एकड़ अतिरिक्त भूमि विद्यमान मण्डी क्षेत्र के समीप थोक एवं व्यापार हेतु प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कुल 71 एकड़ भूमि थोक व्यापार एवं विशेष बाजार हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.2 (3) भण्डारण एवं गोदाम

वर्तमान में यहाँ उत्तरी-पूर्वी योजना परिक्षेत्र में मण्डी क्षेत्र के उत्तर दिशा में राजस्थान वेयर हाउसिंग का 5 एकड़ क्षेत्रफल में भण्डारण एवं गोदाम की सुविधा उपलब्ध है, जो कि वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कम है अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी योजना क्षेत्रों में 27 एकड़ अतिरिक्त भूमि भण्डारण एवं गोदाम व्यवस्था हेतु प्रस्तावित की गई है, इस प्रकार मास्टर प्लान में कुल 32 एकड़ भूमि भण्डारण एवं गोदाम हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.2 (4) वाणिज्यिक केन्द्र

पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में यातायात संबंधी अत्यधिक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। पूर्व में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र नगर के केन्द्र में घने बसे भागों में स्थित होने के पकिंग एवं सामान को लादने एवं उतारने की समस्या निरन्तर बनी रहती थी। अतः केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र से यातायात के दबाव को कम करने के लिए तथा व्यापार को उचित स्थानों पर वितरित किये जाने के लिए पदमपुर में नई धान मण्डी उत्तरी-पूर्वी योजना क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण दिशा में करवाया गया है, वर्तमान में इस मण्डी क्षेत्र के निर्माण से यातायात की समस्या में कमी का होना पाया गया है। इससे अतिरिक्त भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। पदमपुर मास्टर प्लान के उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी योजना क्षेत्र में वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि नगर के चारों ओर समुचित मात्रा में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो सकें। वाणिज्यिक केन्द्र में खुदरा वाणिज्यिक दुकानें, सिनेमा, होटल, पेट्रोल पम्प एवं सामुदायिक भवन आदि

सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर कुल 46 एकड़ व्यावसायिक भूमि में से 13 एकड़ भूमि वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित की गयी है।

वाणिज्यिक केन्द्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान में स्थानीय एवं सुविधाजनक दुकानों का भी प्रावधान किया गया है। इनकी स्थिति विस्तृत योजना बनाते समय दर्शायी जायेगी। ये केन्द्र योजना क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से 15 से 20 मिनट के समय की दूरी पर स्थित होंगे। वाणिज्यिक केन्द्र योजना क्षेत्र में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीददारी करने के लिये स्थानीय दुकाने भी सम्मिलित रहेंगी।

5.3 औद्योगिक:—

गंग कैनल के आने के बाद पदमपुर में औद्योगिक विकास काफी हुआ है तथा भविष्य में औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा। नहर का मीठा पानी उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पदमपुर में 2001 में औद्योगिक रोजगारों में 988 व्यक्तियों की तुलना में 2031 में 3737 व्यक्ति हो जाएंगे। अतः स्पष्ट है कि पदमपुर में औद्योगिक कामगारों की संख्या काफी बढ़ेगी। पदमपुर में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का विस्तार होगा। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के संक्षिप्त उल्लेख के साथ-साथ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण तालिका-17 में दर्शाया गया है।

तालिका-17

औद्योगिक गतिविधियों के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर 2031

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1	रीको औद्योगिक क्षेत्र	13	उत्तरी-पूर्वी योजना क्षेत्र में	50
2	आईस फैक्ट्री व अन्य			
3	जिनिंग फैक्ट्री डेयरी प्लांट			
	योग			50
प्रस्तावित				
1	उत्तरी-पूर्वी योजना परिक्षेत्र	3	रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीप	79
	योग			79
	कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) (50+79)			129

स्रोत - सर्वेक्षण एवं आकलन

नगर की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र से सटते हुए एक नया क्षेत्र भविष्य के विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है। घरेलू एवं सर्विस उद्योगों को आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रों में ही रहने दिया जाएगा। एक अकेला उद्योग किसी भी तरह योजनाबद्ध औद्योगिक विकास का लाभ नहीं ले सकता है अतः संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सभी उद्योगों को एक ही केन्द्र पर स्थापित कर उनको योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जाना जरूरी होता है। अतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तरी-पूर्वी योजना क्षेत्र में विद्यमान रीको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के समीप वर्तमान एवं प्रस्तावित कुल 129 एकड़ क्षेत्र भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित की गयी है। इसका मुख्य आधार संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सभी उद्योगों के एक ही स्थान पर स्थापित करना है।

5.4 राजकीय

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

वर्तमान में सरकारी कार्यालयों हेतु पदमपुर में कोई व्यवस्थित परिसर स्थापित नहीं हैं विभिन्न सरकारी कार्यालय अलग-अलग स्थलों पर स्थापित हो गये हैं। वर्तमान में पदमपुर में 21 कार्यालय कार्यरत हैं, जिनमें केन्द्र सरकार के 2, राज्य सरकार के 11 सरकारी एवं 7 अर्द्ध-सरकारी कार्यालय स्थित हैं, केन्द्र सरकार के 2 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में सशस्त्र सीमा बल तथा दूर संचार विभाग हैं। राज्य सरकार के 11 सरकारी कार्यालयों में वार्ड संख्या 12 में उप जिला खण्ड, वार्ड संख्या 5 में तहसील, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा अन्य वार्डों में कृषि अनुसंधान केन्द्र, अभियोजन विभाग, उपकोष व पी.डब्ल्यू.डी. वरिष्ठ ब्लाक शिक्षा अधिकारी, डी.वी.ई.पी. सिंचाई विभाग, आबकारी विभाग इत्यादि कार्यालय स्थित है। अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०, क्रय विक्रय सहकार समिति, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस, पंचायत समिति एवं आंगन बाड़ी इत्यादि कार्यालय स्थित है। राजकीय क्षेत्र में लगभग 566 व्यक्ति कार्यरत हैं। वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार के सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के अधीन 7 एकड़ भूमि है। केन्द्र व राज्य सरकार के सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने हेतु मास्टर प्लान के पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में 13 एकड़ भूमि और

प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए कुल 30 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है। विद्यमान सरकारी एवं अर्द्ध सरकार कार्यालयों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण तालिका-18 में दर्शाया गया है।

तालिका-18

राजकीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर 2031

क्र. सं.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1		7	वार्ड संख्या 5, 12, 15, व अन्य	7
	योग			7
प्रस्तावित				
1	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	3	राज्य राजमार्ग-7बी पर	13
	योग			13
	कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 7+13			20

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.5 आमोद-प्रमोद

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल

उद्यान एवं खुले स्थल सामान्यतः नगर के फेफड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से नगर वासियों के सामाजिक एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध होता है। पदमपुर नगर में केवल 2 सामुदायिक उद्यान हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम हैं। नगर की जनसंख्या वृद्धि के कारण पुराने पार्क एवं खुले स्थल नगरीयकरण का भारी दबाव झेल रहे हैं तथा वर्तमान में इनकी उपलब्धता नगण्य है, वर्तमान में केवल 9 एकड़ भूमि इस प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। इसकी पूर्ति के लिए मास्टर प्लान में उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी योजना परिक्षेत्र में लगभग 54 एकड़ भूमि का मास्टर प्लान में उद्यान एवं खुले स्थलों हेतु प्रावधान रखा गया है।

5.5 (2) स्टेडियम

पदमपुर में वर्तमान में वार्ड संख्या 5 में लगभग 6 एकड़ क्षेत्रफल में शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धु स्टेडियम है जो कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में 15 एकड़ भूमि में अतिरिक्त स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है जिससे छात्र-छात्राओं के खेलकूद आदि के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सके। विद्यमान आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का संक्षिप्त उल्लेख के साथ-साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका-19 में दर्शाया गया है:-

तालिका-19

आमोद-प्रमोद, पदमपुर 2031

क्र.सं.	आमोद-प्रमोद	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1	पार्क व फुलवारी	3	अनेक	3
2	शहीद नवपाल सिंह सिद्धु स्टेडियम	1	वार्ड संख्या 5 में राज्य राजमार्ग-7बी पर	6
	योग			9
प्रस्तावित				
1	स्टेडियम	1	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में	15
2	पार्क अन्य	8	विभिन्न स्थलों पर विभिन्न स्थलों पर विभिन्न स्थलों पर	30
	योग			45
	कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 9+45			54

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएं तथा श्मशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। पदमपुर की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। परन्तु सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इन समस्त सुविधाओं को नगर के

निवासियों को उपलब्ध करवाना मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान के उत्तरी-पूर्वी व दक्षिणी एवं पश्चिमी परिक्षेत्र में लगभग 190 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। विभिन्न सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत विद्यमान व प्रस्तावित क्षेत्रफल एवं क्षितिज वर्ष तक कुल क्षेत्र का विवरण तालिका-20 में दर्शाया गया है:-

तालिका-20

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर
2031

क्र. सं.	सार्व एवं अर्द्ध सार्व सुविधाएँ	विद्यमान क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
1	शैक्षणिक	22	74	96
2	चिकित्सा	2	18	20
3	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	4	26	30
4	धार्मिक / ऐतिहासिक / सामा. / सांस्कृतिक	8	0	8
5	जनोपयोगी सुविधाएँ	18	10	28
6	श्मशान व कब्रिस्तान	2	0	2
7	संचार सुविधा	2	0	2
योग		58	128	186

स्त्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 (1) शैक्षणिक

पदमपुर नगर स्कूल शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है। आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहां पर सरकार की नीतियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्ष 2031 तक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 74 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस नीति के आधार पर नगर की अनुमानित जनसंख्या के लिए विभिन्न स्तर के विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छोटे एवं दोहरी पारी वाले विद्यालयों की सुविधाएं आवासीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध करवायी जावेगी। अतः इनकी स्थिति एवं विद्यालयों का स्थान मास्टर प्लान भू-उपयोग में नहीं दर्शाया गया है। जब आवासीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी तब समस्त शैक्षणिक स्तर की सुविधाओं का चयन किया जायेगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र पर दर्शायी गयी है।

नगर के समस्त क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध हो अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी एवं पश्चिमी योजना क्षेत्रों में राज्य राजमार्ग-3 पर व्यावसायिक शैक्षणिक व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं जिनमें भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं यथा स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि विकसित किये जा सकते हैं। पदमपुर की शैक्षणिक संस्थाओं को निम्न तालिका-20 में दर्शाया गया है:-

तालिका-21

शैक्षणिक संरचना, पदमपुर -2031

क्र. सं.	विद्यालय स्तर	विद्यालय जाने योग्य छात्रों की संख्या	विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय (1-5)	7500	51
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	2500	18
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9-12)	2200	12
	योग	12200	81

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 (2) चिकित्सा

पदमपुर मे वार्ड संख्या 18 में वर्ष 1947 से पूर्व एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व अन्य स्थानों पर 3 निजी चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी कार्यरत है। यहां पर कुल लगभग 33 शैय्याओं की सुविधा है। इसके अतिरिक्त यहां पर वार्ड संख्या 18 में एक पशु चिकित्सालय स्थित है। यह सुविधा नगर की भावी जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होगी। इस सामुदायिक चिकित्सालय के पास विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, उपरोक्त के अतिरिक्त यहां पर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक

चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के उत्तरी-पूर्वी व दक्षिणी-पूर्वी योजना परिक्षेत्र में तीन नर्सिंगहोम एवं दक्षिणी-पूर्वी योजना क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा सभी सैक्टरों की जब विस्तृत योजना तैयार की जायेगी उस समय आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेंसरी हेतु स्थल आरक्षित किये जा सकेंगे। पदमपुर के मास्टर प्लान में चिकित्सा सुविधाओं हेतु कुल 18 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। पदमपुर में विद्यमान एवं प्रस्तावित चिकित्सा सुविधाओं का विवरण तालिका-22 में दर्शाया गया है।

तालिका-22

चिकित्सा सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर, 2031

क्र.स.	चिकित्सा सुविधा का स्तर	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1.	राजकीय सामुदायिक केन्द्र	1	वार्ड संख्या 18	0.50
	निजी चिकित्सा केन्द्र	3	अन्य स्थानों पर	1.30
	राजकीय पशु अस्पताल	1	वार्ड संख्या 18	0.20
योग				2
प्रस्तावित				
1.	अस्पताल	1	उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में	2
2.	डिस्पेंसरी	3	पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में	5
3.	पशु चिकित्सालय	1	उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में	11
योग				18
कुल योग (विद्यमान+विशेषताएं) (2+18)				20

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 (3) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

मास्टर प्लान में विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं जैसे डाकघर, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं रंगमंच आदि का आवश्यकतानुसार प्रावधान रखा गया है। ऐसी सुविधाओं के लिए कई स्थल मास्टर प्लान में उचित स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं। अन्य सामुदायिक सुविधाओं के प्रयोजनार्थ लगभग 26 एकड़ भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

ऐसी सुविधाये जिससे एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है जैसे बारातघर, धर्मशाला एवं धार्मिक भवन आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित भूमि में किया जा सकता है। विद्यमान एवं प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण तालिका-23 में दर्शाया गया है।

तालिका-23

अन्य सामुदायिक सुविधाओ के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर-2031

क्र.स.	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1.	विश्राम गृह, सामुदायिक भवन, धर्मशाला, पुलिस थाना आदि	अनेक	वार्ड संख्या 2, 6, 8, 12, 16 एवं 20	4
योग				4
प्रस्तावित				
1.	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	5	उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी योजना क्षेत्र	26
योग				26
कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 4+26				30

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6.4 जनोपयोगी सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिता में पेयजल वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, जल मल निकास इत्यादि सम्मिलित हैं। नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन सेवाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में आवश्यक प्रयास किये जावें। पदमपुर में वर्तमान में जनोपयोगी सुविधाएं तथा जलापूर्ति, जलमल निकास

आदि के आगे 18 एकड़ क्षेत्र है। नगर की भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर जनोपयोगी सुविधाओं का संक्षिप्त उल्लेख के साथ-साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका- 24 में दर्शाया गया है।

तालिका-24

जनोपयोगी सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण, पदमपुर 2031

क्र.स.	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान				
1.	जलापूर्ति	1	उत्तरी-पूर्वी योजना परिक्षेत्र में श्रीकरणपुर जाने वाले मार्ग पर	9
	विद्युत आपूर्ति	2	वार्ड नं. 15	9
	टेलीफोन	1	वार्ड संख्या 3	
	एक्सचेंज		रायसिंहनगर राज्य मार्ग पर	
योग				18
प्रस्तावित				
1.	पश्चिमी योजना परिक्षेत्र	1	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं प्रस्तावित कृषि मंडी के समीप बाईपास एवं वार्ड नं. 15 में	10
योग				10
कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) (18+10)				28

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6.4 (अ) जलापूर्ति

पदमपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत बीबी वितरिका है जिससे प्रतिदिन लगभग 3.75 क्यूसेक पानी की आपूर्ति होती है। नगर में प्रतिदिन 2300 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है यह लगभग 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। 100 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति निर्धारित मानदण्डों की तुलना में बहुत कम है, इसे बढ़ा कर लगभग 100-125 लीटर प्रति व्यक्ति करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2031 तक यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 52925 व्यक्ति हो जायेगी। जिस नगर में प्रतिदिन 5300 किलोलीटर पानी वितरित किया जाना आवश्यक होगा। अतः विभाग को उचित मात्रा में पानी की आपूर्ति करनी होगी।

भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए मास्टर प्लान में जन उपयोगी सुविधाओं हेतु पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में वर्तमान जलदाय योजना के समीप भूमि आरक्षित की गयी है, जिसके तहत इस क्षेत्र में फिल्टर प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है।

5.6.4 (ब) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन

पदमपुर में मल-जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। यहाँ पर अभी तक वर्षा के पानी की निकासी का भी उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण वर्षा का पानी सड़कों पर फैल जाता है। यहां पर अभी तक सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक की व्यवस्था है, तथा शेष जनता प्राचीन पद्धति का ही उपयोग करती है। इस कारण आस-पास का वातावरण दूषित होने के साथ-साथ भूमिगत जल के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। वर्तमान में सम्पूर्ण नगर का जल निकास खुले नाली व नाले के प्राकृतिक गुरुत्व के माध्यम से नगर के उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा में स्थित तालाब में एकत्रित होता है।

स्वच्छ नगर के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को गंदगी के कुप्रभावों से बचाया जा सके। इसके लिए वर्तमान में नगर के दक्षिण दिशा में स्थित तालाब की तकनीकी रूप से विकसित किया जाकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कर नगर में जल पुनर्उत्थान प्रस्तावित है। नगर में कचरा प्रबंधन का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता है। यहां पर ट्रेक्टर-ट्रॉली की सहायता से दिन में एक बार कचरा इकट्ठा किया जाता है तथा उसे नगर से 1 किमी की दूरी पर ले जाकर खुले स्थान पर डाल दिया जाता है। जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा भूमिगत जल के प्रदूषण का खतरा सदैव बना रहता है। नगर पालिका स्तर पर ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का चयन किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

नगर के परीधीय नियंत्रण क्षेत्र में मृदा परीक्षण एवं नगरपालिका, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विचार विमर्श उपरान्त भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कचरा प्रबंधन वैज्ञानिक पद्धति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ठोस कचरा संयंत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार नगर के परीधीय नियंत्रण क्षेत्र में जल अभियांत्रिकी विभाग से विचार-विमर्श उपरान्त, क्षेत्र की सामान्य ढलान को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटमेंट उपरान्त प्राप्त जल को नगर में जल पुनर्संचरण पद्धति के तहत वृक्षारोपण, बाग-बगीचे के रख-रखाव हेतु उपयोग में लगाया जाना प्रस्तावित है।

5.6.4 (स) विद्युत आपूर्ति

पदमपुर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत आपूर्ति 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन द्वारा वितरित की जाती है नगर में कुल 26667 यूनिट प्रतिदिन बिजली सूरतगढ़ थर्मल से प्राप्त होती है और प्रतिदिन 26667 यूनिट बिजली की खपत होती है, जो काफी कम है। नगर में होने वाले विकास एवं विभिन्न सेक्टरों में बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों हेतु और अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। अतः सुझाव है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उचित विद्युत आपूर्ति हेतु एक प्लान तैयार करे ताकि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके तथा यह भी सुझाव है कि दोनो स्रोतों का अच्छा सामंजस्य हो ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारू रहे। अतः इसको ध्यान में रखते हुए हैं। वर्ष 2031 तक 52925 अनुमानित जनसंख्या हेतु समुचित विद्युत व्यवस्था हेतु मास्टर प्लान में 33/11 के.वी. का नया ग्रिड सब-स्टेशन मास्टर प्लान के उत्तरी-पूर्वी योजना परिक्षेत्र में वर्तमान ग्रिड सब स्टेशन के समीप 5 एकड़ भूमि में प्रस्तावित किया गया है।

5.6.4 (द) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में नगर के दक्षिण दिशा में स्थित श्मशान की भूमि को यथावत रखा गया है। श्मशान एवं इसके पास स्थित मंदिर की भूमि है। परन्तु जो श्मशान और कब्रिस्तान नगर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें चार दिवारी के साथ-साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशानों और कब्रिस्तानों को माँग के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता के अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 परिसंचरण

पदमपुर की परिसंचरण व्यवस्था यहां के भावी भू-उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग है। परिसंचरण हेतु विभिन्न प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, कि जनता के आवागमन के लिए उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। नगर के विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार वहां पर आवागमन होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं। पदमपुर से राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी गुजरते हैं। नगर का विस्तार समस्त योजना परिक्षेत्रों में समान आंका गया है। वर्तमान में नगर का अधिकतम विकास व विस्तार राज्य राजमार्ग-7बी पर रीको औद्योगिक क्षेत्र व नयी धान मण्डी के आस-पास होने के कारण भविष्य में यातायात को सुनियोजित करने की दृष्टि से नगर के उत्तर, पूर्व व दक्षिण भाग में बाईपास प्रस्तावित किये गये हैं, जिससे कि भारी यातायात दबाव पूर्व-पश्चिम में कमी के साथ सम्भावित दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी। परिसंचरण के अन्तर्गत

विद्यमान क्षेत्रफल एवं क्षितिज वर्ष तक कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का विवरण तालिका-25 में दर्शाया गया है।

तालिका-25

परिसंचरण, पदमपुर – 2031

क्र.स.	परिसंचरण	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
1. 2. 3.	रेलवे, राज्य राजमार्ग-3 का नगरीय क्षेत्र का भाग, मुख्य एवं आंतरिक सड़कें बस स्टेण्ड, टैक्सी स्टेण्ड इत्यादि		उत्तरी-पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी योजना क्षेत्र, नगर के मध्य से, अन्य स्थानों पर	94
	योग			94
प्रस्तावित				
1. 2. 3.	यातायात नगर बस अड्डा, टैक्सी स्टेण्ड, रोड़ नेटवर्क, राज्य राजमार्ग, बाहा मार्ग, प्रमुख सड़कें, मुख्य आंतरिक व अन्य सड़कें	1 1 4 अनेक	पश्चिमी, दक्षिणी एवं उत्तरी-पूर्वी योजना परिक्षेत्र नगर के चारों तरफ बाईपास मार्ग, अन्य समस्त स्थानों पर	175
	योग			175
कुल योग (94+175)				269

स्त्रोत – सर्वेक्षण एवं आकलन

5.7(1)(अ) प्रस्तावित यातायात संरचना

राज्यमार्ग एवं बाईपास 150 फीट प्रमुख सड़कें 80 फीट तथा मुख्य सड़कें 60 फीट प्रस्तावित की गयी हैं। मुख्य सड़कें सभी महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेंगी एवं अधिकतम वाहन इन्हीं सड़कों से होकर गुजरेंगे। अन्य सड़कें विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेंगी तथा कार्यस्थलों को पहुँच प्रदान करेंगी। ये सभी सड़कें मुख्य यातायात प्रणाली का भाग है। श्री गंगानगर-गजसिंहपुर राज्य

राजमार्ग-3 पदमपुर-श्रीकरणपुर राज्य राजमार्ग-7बी के अतिरिक्त नगर के चारों दिशओं से बाईपास रोड 150 फीट, नगर की प्रमुख सड़कों का मार्ग 80 व अन्य अन्य मुख्य सड़कों की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित की गई हैं। नगर के पुराने बसे हुए क्षेत्र में स्थित सड़कों की चौड़ाई यथावत रखी गई है तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किया गया है। सड़कों को मानदण्डों के अनुसार मार्गाधिकार को तालिका-26 में दर्शाया गया है :-

तालिका-26

प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, पदमपुर-2031

क्रमांक	सड़क का प्रकार	मार्गाधिकार (फीट में)
1.	राज्य राजमार्ग	150
2.	बाईपास / बाह्यमार्ग	120
3.	प्रमुख सड़कें	80
4.	मुख्य सड़कें	60

पदमपुर में प्रस्तावित मार्गाधिकार तालिका-27 में दर्शाया गया है।

तालिका-27

सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, पदमपुर-2031

क्रमांक	सड़क की श्रेणी	प्रस्तावित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार (फीट में)
प्रस्तावित बाईपास मार्ग		
1	योजना क्षेत्र के उत्तरी, पश्चिमी भाग में	150
2	योजना क्षेत्र के दक्षिणी भाग में 21 बीबी को जाने वाला मार्ग	150
प्रमुख सड़क		
3	योजना के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में प्रस्तावित कृषि मंडी के समीप राज्य मार्ग से लेकर बाईपास तक का भाग	80
4	योजना के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में प्रस्तावित शैक्षणिक भाग के उत्तर दिशा में प्रस्तावित मार्ग (बाईपास से लेकर नगर के मुख्य आबादी तक का मार्ग)	60
मुख्य सड़कें		
5	योजना के पश्चिमी क्षेत्र में 24 बीबी को जाने वाला मार्ग	40
6	योजना के पश्चिमी योजना परिक्षेत्र में राज्य मार्ग से प्रस्तावित बस स्टेण्ड के उत्तर दिशा में बाईपास तक का मार्ग	40
7	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के उत्तरी व पश्चिमी सीमा वाला मार्ग	40
8	योजना के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में प्रस्तावित डिस्पेन्सरी, ओ.सी.एफ. व व्यावसायिक क्षेत्र के सामने होकर बाईपास से लेकर मुख्य आबादी वाले क्षेत्र तक	40
9	अन्य सड़कें	60 फीट से कम

स्रोत: सर्वेक्षण एवं आकलन

5.7(1)(ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो, मापदण्डों के अनुसार होगा। उन स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो अथवा जहाँ अत्यधिक संख्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहाँ सुविधानुसार तालमेल बिठाकर निम्न स्तर के मानदण्ड अपनाए जा सकेंगे। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर मौके के अनुसार सम्भावित चौड़ाई तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है, ताकि यातायात सुगम हो सके।

5.7(1)(स) चौराहों का सुधार

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतंत्र रूप से चलाने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें अपर्याप्त चौड़ाई तथा चौराहों की गलत परिकल्पना के कारण भीड़-भाड़ होना प्रमुख है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों, तिराहों की तकनीकी जाँच कर उन्हें सावधानी से पुनः डिजाइन करने का प्रस्ताव है।

5.7(1)(द) पार्किंग व्यवस्था

पदमपुर में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गयी है। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों के पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने व्यापारिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यापारिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध हैं, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे। नये व्यापारिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावे। भारी वाहनों के लिए यातायात नगर एवं योजना क्षेत्रों में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाएगा।

5.7(2) बस अड्डा तथा यातायात नगर

वर्तमान में पदमपुर में बस अड्डा राज्य राजमार्ग-3 पर स्थित है। इस बस स्टेण्ड की योजना विधिवत नहीं होने के कारण एवं वाहनो की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण यहां पर यातायात की समस्या उत्पन्न हो गयी है। भविष्य में नगर की बढ़ती जनसंख्या व यातायात दबाव को मद्देनजर रखते हुए पश्चिमी

योजना परिक्षेत्र में राज्य राजमार्ग-3 एवं राज्य राजमार्ग-7बी के जंक्शन पर लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में बस अड्डा प्रस्तावित किया गया है जिससे नगर में यातायात का अनावश्यक दबाव कम हो सके।

वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। नगर से पदमपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों का नगर के अन्दर कम से कम प्रवेश हो, इसलिए दक्षिणी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित मण्डी के समीप बाईपास पर एक ट्रक टर्मिनल/ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 टैक्सी एवं थ्री व्हीलर स्टेण्ड श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, पदमपुर व प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के सामने प्रस्तावित किये गये हैं।

5.7(3) रेल एवं हवाई सेवा

पदमपुर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है तथा इसका समीपस्थ रेलवे स्टेशन गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन है जो श्रीगंगानगर व सूरतगढ़ से मीटर गेज से जुड़ा हुआ है, (जो की शीघ्र ही ब्रॉड गेज होने जा रही है) यहां पर अभी हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पदमपुर का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर हवाई अड्डा है, जो कि 470 किमी की दूरी पर स्थित है।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी

नगर के अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य स्थित क्षेत्र परिधि नियंत्रण क्षेत्र के रूप में रखा जायेगा। इस क्षेत्र का स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण ही होगा। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में ही सुनियोजित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियोजित रूप से हो, इसके प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाई-वे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौध शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेण्ट, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे केशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मील, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग, बजरी उत्खनन गतिविधियां आदि अनुज्ञेय होगी। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में वृहद्

परियोजनाएँ जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुंमुखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती है, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित नगरी विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी।

5.8(1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर स्थित गांवों का विकास एवं विस्तार नियमित तरीके से ही किया जायेगा। इस संबंध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर चिन्तन का है यदि समुचित प्रतिबन्धों का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलो में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित हो, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकृतियाँ उत्पन्न होंगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में असंगत फैलाव अर्थहीन बनकर रह जायेगा। अतः आबादी विस्तार से दृष्टिगत रखते हुए इन गांवों का नियोजित ढंग से विस्तार हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनायी जावेगी।

योजना का क्रियान्वयन

पदमपुर नगर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में नगर के रहने और कार्य करने के योग्य बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को वास्तविकता में परिवर्तित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जाएं। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यावहारिक थी बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। योजना का क्रियान्वयन इस प्रक्रिया का भाग है, जो योजना को कार्यक्रम में प्रतिस्थापित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है, जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित सम्भावित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल क्रियान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि आवास और कार्य स्थल के रूप में पदमपुर को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गम्भीर प्रयास करें।

6.1 वर्तमान आधार:—

वर्तमान स्थानीय निकाय, पदमपुर का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। नया नगर पालिका अधिनियम स्थानीय निकाय को समुचित अधिकार प्रदान करता है, जिससे नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। अतः मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु उक्त अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों का समुचित उपयोग किया जाकर नगर में सुनियोजित विकास की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है।

6.2 प्रस्तावित आधार

मास्टर प्लान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का दायित्व नगरपालिका पदमपुर का रहेगा। नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी कि पदमपुर के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगे। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगरपालिका, पदमपुर में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका, पदमपुर से निर्धारित राशि देकर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका पदमपुर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली योजनाएं तैयार करेगी। जलापूर्ति व मल-जल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा नगर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार करेंगे। नगरपालिका पदमपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी। किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों की स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है ताकि यह विकास का समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर सके।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को सभी प्रकार से सुदृढ़ किया जाये और समय-समय पर आवश्यकतानुसार समुचित अधिकार दिये जायें। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो,

इस दृष्टि से समय-समय पर आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी करते रहना होगा।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर की सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

पदमपुर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं की दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गयी स्वीकृतियाँ/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गयी भू-उपयोग योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गयी किसी स्वीकृति यथा 90बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपांतरण व नियमण, भू-उपयोग, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन सहवन से नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जायेगा।

मास्टर प्लान क्षेत्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन करने का यथासंभव प्रयास किया गया है, यथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार की मान्य होगी। इन नदी नाले, जलाशय, भराव क्षेत्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या नहीं। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 उपसंहार :-

मास्टर प्लान भावी विकास की परिकल्पना मात्र है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित है। पदमपुर का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और पदमपुर को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर की इस योजना को तैयार किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के उद्धरण

अध्याय - 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति
- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।
4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु
- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है।
- (ख) उस ढाँचे के विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें, जो आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।
5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया
- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गए नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् याथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी व इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम – 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)
RULES, 1962

[Notification No. F.4(32)LSG/A/59 dated 02.04.1962
published in the Rajasthan Gazette Part IV-C extraordinary
dated 08.06.1962 Page 118 J]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely: -

RULES

1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules – 1962".
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the subject or context otherwise requires –

- (i) "Act" mean the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).
- (ii) "Trust" means a trust as constituted under the Act.
- (iii) "Section" means a Section of the Act
- (iv) Word and expressions used but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of draft Maser Plan and the contents thereof under Section 5(i).

- (i) The draft master plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections / suggestions with respect to the draft of the Master Plan.
- (ii) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.
- (iii) The Draft Master Plan shall ordinarily consists of the following maps, Plan and documents namely: -
 - (a) Town Map showing General Layout of the roads and Streets in the Town.
 - (b) Base Map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial.
 - (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern. In the urban area such as residential, commercial, industrial public and semi-public uses etc.

- (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
- (e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or as the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 (1)

- (1) After considering the objections / suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under section 33 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same if constituted to the State Government for approval.
- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प.10(116)नविवि/3/2010

जयपुर दिनांक 16.7.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को पदमपुर (जिला श्री गंगानगर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

राजस्व ग्राम का नाम		
क्र.सं.	ENGLISH	हिन्दी
1	20 BB II	20 बीबी 2
2	23 BB	23 बीबी
3	1 DD	1 डीडी
4	2 DD	2 डीडी
5	20 BB III	20 बीबी 3
6	7 CC	7 सीसी
7	18 BB	18 बीबी
8	19 BB	19 बीबी
9	20 BB I	20 बीबी 1
10	24 BB	24 बीबी
11	21 BB	21 बीबी
12	25 BB I	25 बीबी 1
13	7 EEA (PART) – MURRABBA NO 1 TO 44, 55 TO 61 AND HALF PART OF 62 NORTH EASTERN REGION	7 ईईए (पार्ट) – मुरब्बा नं. 1 से 44 व 55 से 61 व 62 का 1/2 उत्तर पूर्वी भाग

राज्यपाल की आदेश से
(ह.)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राज पत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक
6. जिला कलेक्टर, श्री गंगानगर
7. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पदमपुर
8. रक्षित पत्रावली

ह.

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.10(116)नविवि/3/2010

जयपुर

दिनांक:-08.05.12

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.7.2010 द्वारा यथा अधिसूचित " पदमपुर (जिला-श्रीगंगानगर) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, पदमपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी डी भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 3 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
- 5 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर ।
- 6 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
- 7 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।
- 8 रक्षित पत्रावली ।

ह0

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक